

अध्याय-3
बजटीय प्रबंधन

अध्याय-3

बजटीय प्रबंधन

यह अध्याय अनुपूरक अनुदान और सहवर्ती वित्तीय प्रबंधन सहित, बजटीय प्रक्रिया और आवंटित प्राथमिकताओं, की सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और प्रभावशीलता की समीक्षा से संबन्धित है।

3.1 बजट प्रक्रिया

बजट की वार्षिक कार्यवाही लोक संसाधन के प्रभावी उपयोग का ब्यौरा देने के लिए एक माध्यम है। बजट शब्दावली **परिशिष्ट-3.1** में दी गई है। बजट प्रक्रिया सामान्यतः प्रत्येक वर्ष अगस्त में बजट परिपत्र जारी करने से प्रारम्भ होती है जिसमें विभागों को अगले वित्तीय वर्ष हेतु आकलन निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है। राज्य में एक विशिष्ट बजट तैयार करने की प्रक्रिया नीचे चित्र में दी गई है।



3.2 बजट तैयारी प्रक्रिया

वित्त विधेयक, वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) और अनुदान की मांग भारत के संविधान के अनुच्छेद क्रमशः 199, 202 तथा 203 में आधिदिष्ट है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 में अपेक्षित है कि राज्य के विधानमंडल के सदन में उस वर्ष के अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों के विवरण को “वार्षिक वित्तीय विवरण” के रूप में रखा जाए। वार्षिक वित्तीय विवरण में संचित निधि पर भारित व्यय और अन्य व्यय पृथक-पृथक दर्शाये जाने चाहिए। इसमें राजस्व लेखे पर किए गए व्यय को अन्य व्यय से भी अलग दिखाया जाएगा।

संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुपालन में राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के पहले वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे सामान्य बजट भी कहते हैं, प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राप्तियों एवं वितरण और अनुदान की मांग में होने वाले व्यय के अनुमान को संविधान के अनुच्छेद 150 में दिये गये वर्गीकरण के अनुसार दर्शाये जाता है।

संविधान के अनुच्छेद 204 में दिये गए प्रावधानों के अनुसार विनियोग के अंतर्गत कानून पारित करने के अतिरिक्त राज्य की संचित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान पूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान अथवा विनियोग दिया जाता है। बजटीय राशि से अधिक के व्यय हेतु यह प्रावधान है।

उत्तराखण्ड में बजट तैयार करने की ज़िम्मेदारी वित्त विभाग के पास है:

- संविधान के अनुच्छेद 166 (2) तथा (3) और उसके अंतर्गत जारी किए गए निर्देशों के अनुसार राज्यपाल के द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत वित्त विभाग के पास अनुमानित राजस्व और व्यय का विवरण, जो कि प्रत्येक वर्ष विधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है, तैयार करने की ज़िम्मेदारी होती है। यद्यपि विभाग प्रमुखों एवं अन्य अधिकारियों द्वारा सूचना प्रेषित की जाती है, तथापि आकलनो और बजट की वास्तविक तैयारी वित्त विभाग के ऊपर है और यह पूरी तरह से उस विभाग का कार्य और ज़िम्मेदारी है कि प्राप्तियों एवं वितरण के अनुमानों को अंतिम रूप दे।
- राज्य सरकार राज्य की संचित निधि से व्यय की वैधानिक स्वीकृति, अनुदानों/विनियोगों के लिए वार्षिक बजट और मांगों¹ को प्रस्तुत करके सुनिश्चित करती है।

¹ 2022-23 के अनुदान/विनियोजन के लिए 31 मांग हैं।

- मूल बजटीय राशि से अधिक के व्यय को पूर्ण करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान पूरक अथवा अतिरिक्त मांग/विनियोग दिया जाता है।
- इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान राज्य सरकार विनियोग की विभिन्न इकाइयों जहां बचत पूर्वानुमानित हैं, से उन इकाइयों जहां अतिरिक्त व्यय संभावित (अनुदान/विनियोग के अंदर) है, में निधियों को पुनर्विनियोजित/पुनरावंटित भी करती है।

उत्तराखण्ड सरकार का वित्त विभाग हर साल पत्र जारी कर बजट तैयार करने की रूपरेखा बताता है। वर्ष 2022-23 में बजट की तैयारी के लिए, दिनांक 28 अक्टूबर 2021 को एक पत्र जारी किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है:

- बजट अनुमानों की शुद्धता और उसकी जिम्मेदारी बजट मैनुअल के पैरा 16 (अध्याय 3) में स्पष्ट रूप से वर्णित है। राज्य सरकार के खाते आम तौर पर नकद आधार पर तैयार किए जाते हैं; इसलिए, व्यय की सभी मदों और आय के सभी स्रोतों और वास्तविक परिणामों को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक पर सावधानीपूर्वक और गहन विचार के बाद अनुमान तैयार किया जाना चाहिए।
- बजट मैनुअल के पैरा 17 (अध्याय 3) में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि बजट अनुमान, एक नियम के रूप में, सकल आधार पर तैयार किया जाना चाहिए न कि शुद्ध आधार पर। प्रत्येक विभाग में प्राप्तियों और शुल्कों दोनों के मामले में सकल लेनदेन को अलग से दर्ज किया जाना चाहिए। प्राप्तियों का अनुमान प्राप्ति पक्ष पर और व्यय का व्यय पक्ष पर लगाया जाना चाहिए।
- विभागाध्यक्षों और अन्य आकलन अधिकारियों को अधीनस्थ अधिकारियों से प्राप्त सामग्री के आधार पर प्रत्येक लेखा शीर्ष के लिए अनुमान तैयार करना चाहिए और निर्धारित तिथियाँ तक महालेखाकार को एक प्रति के साथ प्रशासनिक विभागों को अनुमान भेजना चाहिए। महालेखाकार पिछली वास्तविक जानकारी प्रस्तुत करता है, अपनी टिप्पणियाँ, यदि कोई हो, प्रस्तुत करता है, और ऐसी सहायता प्रदान करता है जो वित्त विभाग द्वारा उचित रूप से मांगी जा सकती है।
- बजट मैनुअल के पैरा 31 (अध्याय 5) के अनुसार, आम तौर पर एकमुश्त प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जहां एकमुश्त प्रावधान अपरिहार्य है, वहां बजट अनुमानों की टिप्पणियों में प्रमुख कार्य शीर्ष और संबंधित अनुमानों का विवरण दिया जाना चाहिए।
- पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान लगाते समय, ऋण और अग्रिम की वसूली एक प्रमुख विषय है। इसलिए, इन अनुमानों को तैयार करते समय, दिए गए ऋणों और अग्रिमों

की किस्तों पर विचार किया जाना चाहिए। पिछले बकाया ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली के लिए लंबित शेष राशि को ध्यान में रखा जाना चाहिए और उनके अनुमान भी प्रदान किए जाने चाहिए।

- जहां तक संभव हो नए पदों का सृजन नहीं किया जाए चाहिए और यदि यह अपरिहार्य हैं तो नए पदों का सृजन अधिकतम एक प्रतिशत तक सीमित होना चाहिये।

बजट के विभिन्न घटक नीचे चार्ट-3.1 में दर्शाये गए हैं:

चार्ट-3.1: वर्ष 2022-23 के लिए उत्तराखण्ड के बजट एवं व्यय का सारांश



विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत

शासन द्वारा कार्यान्वित

स्रोत: उत्तराखण्ड बजट नियम पुस्तिका एवं विनियोग लेखों में विहित प्रणाली पर आधारित।

3.2.1 जेंडर बजटिंग

जेंडर बजटिंग सरकारी बजट के लिंग-आधारित परिणामों का पता लगाने के लिए बजट का विभाजन है और यह लैंगिक प्रतिबद्धताओं को बजटीय प्रतिबद्धताओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। समानता के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बजटीय नीति में जेंडर बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महिलाओं के लिए संसाधनों के आवंटन और प्रावधानित बजट में परिमाणीकरण पर्याप्तता का आकलन जेंडर बजटिंग के माध्यम से किया जाता है। बजट के अंतर्गत विभागीय योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की दृष्टि से इसे दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। महिलाओं के लिए 100 प्रतिशत बजट निर्धारित करने वाली योजनाओं को श्रेणी-1 में रखा गया है और 30 प्रतिशत से अधिक वाली योजनाओं को श्रेणी-2 में रखा गया है।

2022-23 के दौरान श्रेणीवार जेंडर बजट आवंटन और व्यय नीचे तालिका-3.1 में नीचे दिया गया है:

तालिका-3.1: जेंडर बजटिंग

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	आवंटन	व्यय
श्रेणी-1	2,068.21	राज्य सरकार द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी
श्रेणी-2	11,703.10	
योग	13,771.31	

स्रोत: जेंडर बजट।

3.2.2 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक वितरणों और बचतों का सारांश

कुल बजट प्रावधान, वितरण और बचत/आधिक्य साथ ही इसके अतिरिक्त मतदेय/भारित में वर्गीकरण की सारंशीकृत स्थिति तालिका-3.2 में दी गई है।

तालिका-3.2: वित्तीय वर्ष के दौरान बजट प्रावधान, वितरण और बचत/आधिक्य (2022-23)

(₹ करोड़ में)

कुल बजट प्रावधान		वितरण		बचत (-)/ आधिक्य (+)	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
56,810.48	14,201.44	46,779.83	13,813.07	(-) 10,030.65	(-)388.37

स्रोत: विनियोग लेखे।

3.2.3 भारित एवं मतदेय वितरण

2018-19 से 2022-23 तक कुल वितरण का भारित एवं मतदेय में विभाजन तालिका-3.3 में दिया गया है।

तालिका-3.3: 2018-19 से 2022-23 में वितरण और बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वितरण		बचत(-)/आधिक्य(+)	
	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
2018-19	34,617.56	14,778.29	(-) 4,950.03	(+) 6,308.38
2019-20	34,147.37	13,825.82	(-) 8,395.33	(+) 5,170.72
2020-21	38,726.01	13,274.10	(-)9,201.42	(+)3,610.77
2021-22	41,619.58	9,074.77	(-)12,480.40	(-)1,837.65
2022-23	46,779.83	13,813.07	(-)10,030.65	(-)388.37

स्रोत: विनियोग लेखे।

जैसा कि ऊपर से देखा जा सकता है कि विगत पाँच वर्षों 2018-19 से 2022-23 के दौरान मतदेय में निरंतर बचत और 2018-19 से 2020-21 के दौरान भारित मद में निरंतर आधिक्य हुआ है। हालांकि, विगत दो वर्ष 2021-22 से 2022-23 के दौरान भारित मद में बचत हुई है।

3.2.4 बजट मानक चिन्ह

कुल बजट आउटटर्न

कुल बजट आउटटर्न उस सीमा को मापता है, जिस सीमा तक कुल बजट व्यय का आउटटर्न/वास्तविक व्यय मूल रूप से अनुमोदित राशि को दर्शाता है, जो कि अनुमोदित से कम और अनुमोदित से अधिक दोनों के संदर्भ में हैं।

तालिका: 3.4: बजट अनुमानों के सापेक्ष कुल बजट आउटटर्न

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल बजट अनुमोदित	वास्तविक आउटटर्न	वास्तविक और बजट अनुमान के बीच अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)
राजस्व	49,013.31	43,772.73	(-) 5,240.58
पूजीगत	16,558.18	16,820.17	(+) 261.99
योग	65,571.49	60,592.90	(-) 4,978.59

*मूल प्रावधान से अधिक वास्तविक की अधिकता को (+) अंक के रूप में दर्शाया जाता है और मूल प्रावधान से अधिक वास्तविक की कमी को (-) अंक के रूप में दर्शाया जाता है।

राजस्व खंड में, बजट अनुमान की तुलना में आउटटर्न में विचलन (-) 10.69 प्रतिशत था। यह 26 अनुदानों में 0 और ± 25 प्रतिशत के बीच, पांच अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था।

पूजीगत खंड में, बजट अनुमान की तुलना में आउटटर्न में विचलन (+) 1.58 प्रतिशत था। यह 14 अनुदानों में 0 और ± 25 प्रतिशत के बीच, आठ अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के बीच, छह अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच और दो अनुदानों में 100 प्रतिशत और उससे अधिक के बराबर विचलन के कारण था। हालाँकि, पूजीगत खंड के एक अनुदान (अनुदान संख्या 2) के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

व्यय संरचना आउटटर्न

व्यय संरचना आउटटर्न यह मापता है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच पुनः आवंटन ने किस हद तक व्यय संरचना के भिन्नता में योगदान दिया है।

तालिका: 3.5: बजट अनुमान और पुनरीक्षित अनुमान के मुकाबले व्यय संरचना आउटटर्न

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल स्वीकृत बजट	पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक आउटटर्न	बजट अनुमान और पुनरीक्षित अनुमान के मध्य अंतर	वास्तविक और पुनरीक्षित अनुमान के मध्य अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजस्व	49,013.31	49,594.24	43,772.73	580.93	(-) 5821.51
पूजीगत	16,558.18	18,159.41	16,820.17	1601.23	(-) 1,339.24
योग	65,571.49	67,753.65	60,592.90	2,182.16	(-) 7,160.75

*मूल प्रावधान की तुलना में वास्तविक परिणाम की अधिकता को (+) के रूप में दर्शाया जाता है और मूल प्रावधान की तुलना में वास्तविक परिणाम की कमी को (-) के रूप में दर्शाया जाता है।

राजस्व खंड में, पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में आउटटर्न में विचलन (-) 11.74 प्रतिशत था। यह विचलन 25 अनुदानों में 0 और ± 25 प्रतिशत के बीच, छह अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के बीच था।

पूंजीगत खंड में, पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में आउटटर्न में विचलन (-) 7.37 प्रतिशत था। यह विचलन 19 अनुदानों में 0 और ± 25 प्रतिशत के बीच, छह अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के बीच, तीन अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच और 100 प्रतिशत के बराबर एवं अधिक विचलन दो अनुदानों में था। हालाँकि, एक अनुदान (अनुदान संख्या 2) के संबंध में पूंजीगत अनुभाग में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

3.3 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अंतर्गत विनियोग अधिनियम की संलग्न अनुसूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों हेतु दत्तमत अनुदान एवं भारत विनियोग की राशि की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के व्यय, के लेखे होते हैं। विनियोग लेखे कुल योग आधारित होते हैं। विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत बजट के दोनों मर्दों दत्तमत एवं भारत के सापेक्ष ये लेखे मूल बजट प्राक्कलन, पूरक अनुदान, समर्पण एवं पुनर्विनियोग को स्पष्टतया सूचीबद्ध करते हैं एवं विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत एवं राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखे, निधियों के उपयोग, वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों को समझने व अनुश्रवण करने में सुगम बनाते हैं और इसलिए वित्तीय लेखों के अनुपूरक होते हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि क्या विनियोग अधिनियम के अंतर्गत दिये गए प्राधिकार में निहित विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत वास्तविक रूप से व्यय किया गया है और जो व्यय, संविधान (अनुच्छेद 202) के प्रावधानों के अंतर्गत भारत होना चाहिए, वही भारत किया गया है। यह ये भी सुनिश्चित करता है कि क्या किया गया व्यय विधि, सुसंगत नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप था।

3.3.1 बजटीय एवं लेखाप्रणाली प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणी

3.3.1.1 विधि प्राधिकार के साथ व्यय करना

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार विधि द्वारा पारित विनियोग को छोड़कर राज्य की संचित निधि में से कोई भी धन आहरित नहीं करना चाहिए। राज्य की आकस्मिकता निधि में से अग्रिम द्वारा पुनर्विनियोग, पूरक अनुदान अथवा विनियोग के

माध्यम से अतिरिक्त निधियाँ प्राप्त करने को छोड़कर नई योजना पर व्यय हेतु निधियों का प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए। यह पाया गया कि 2022-23 के दौरान ऐसी कोई योजना नहीं थी जिस पर बजट प्रावधानों के बिना व्यय किया गया हो।

3.3.2 पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण एवं विलोमतः

व्यय और प्राप्तियों का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण वित्तीय विवरणों की सत्यनिष्ठा पर सीधा प्रभाव डालते हैं। संविधान के अनुच्छेद 202 में विहित है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उस वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण नामक “वार्षिक वित्तीय विवरण” (अथवा “बजट”) राज्य विधानसभा के दोनों सदनों में रखा जाता है। व्यय के अनुमान को ‘भारित’ (ऐसा व्यय जिसको संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत विधान सभा में मतदान हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाता है) और ‘दत्तमत’ मदों में पृथक रूप से वर्गीकृत किया जाता है। जैसा कि **अध्याय-2** में व्याख्या की गई है, वार्षिक वित्तीय विवरण, राजस्व लेखे के व्यय को अन्य व्यय से पृथक करता है।

राज्य वित्तीय नियम विनियोग की प्राथमिक इकाइयों को वर्गीकृत करता है। पूंजीगत संपत्ति के अधिग्रहण और अन्य पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान प्राप्त करने हेतु विशिष्ट वस्तु शीर्ष हैं। पूंजीगत प्रकार के व्यय की बुकिंग से संबन्धित यह वस्तु शीर्ष केवल पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अनुरूप होना चाहिए।

राजस्व प्रकृति के व्यय का वर्गीकरण पूंजीगत व्यय में या इसके विपरीत, के कारण राजस्व व्यय और राजस्व घाटा/अधिशेष में अतिदर्शित/न्यूनदर्शित परिणामित होता है। वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का विवरण नीचे **तालिका-3.6** में दिया गया है।

तालिका-3.6: व्यय के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का विवरण

क्रम संख्या	अनुदान संख्या व लेखा शीर्ष	त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)	अभ्युक्ति
1.	27, 2406	पूँजीगत की राजस्व में बुकिंग	14.71	वृहद कार्यों एवं भूमि क्रय पर व्यय की पूर्ति राजस्व व्यय से की गई।
2.	12, 2210		0.52	
उप-योग			15.23	

आँकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि राजस्व खंड में ₹ 15.23 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया है। यह व्यय पूंजीगत खंड में दर्ज होना चाहिए क्योंकि यह व्यय वृहद निर्माण एवं भूमि क्रय के कार्यों से संबन्धित है।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने कहा कि सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

3.3.3 अनावश्यक अथवा अत्यधिक अनुपूरक अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम के द्वारा प्रावधान के अलावा पूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान अथवा विनियोग चालू वित्तीय वर्ष में किया जा सकता है किन्तु चालू वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद नहीं, क्योंकि इसके लिए आवश्यक है-

- नये व्यय की योजनाओं पर व्यय जो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में लिया जाना है।
- प्रावधान की अपर्याप्तता।
- नया व्यय किन्तु तकनीकी रूप से “नये व्यय की योजनाएँ” नहीं।
- प्रावधानों का न लिया जाना।

जब इस तरह के अतिरिक्त व्यय अपरिहार्य पाए जाते हैं और अतिरिक्त व्यय की पूर्ति करने के लिए अनुदान के भीतर प्रभावी बचत को पुनर्विनियोग करने की कोई संभावना नहीं है, तो संबंधित विभाग के सचिव, वित्त विभाग को अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग के लिए प्रस्ताव देगा। योग्य प्रकरणों जो कि अप्रत्याशित हैं और जो पूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं, में संविधान में किए गए प्रावधानों और संबंधित नियमों के अनुसार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किये जा सकते हैं। इस प्रकार स्वीकृत अग्रिमों को अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोग द्वारा नियमित करना होगा और आकस्मिकता निधि में प्रतिपूर्ति करना होगा। एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में पर्याप्त पुनर्विनियोग से सदैव बचना चाहिए। यह नया व्यय अपरिहार्य व अनिवार्य रूप से आवश्यक है या यह परिणामी अर्थव्यवस्था का उत्पादन करेगा या यह राजस्व या सार्वजनिक सुरक्षा के संरक्षण के लिए आवश्यक है आदि वर्ष के दौरान नये व्यय को शुरू करने के लिए उचित औचित्य है। हालाँकि, ऐसी परिस्थितियों में यह अवश्य दिखाया जाना चाहिए कि बजट में आवश्यकताओं का पूर्वाभास किया जा सकता था और प्रावधान नहीं किया गया है। पुनर्विनियोग की प्रक्रिया केवल चूकों और दूरदर्शिता की कमी को दूर करने के लिए नहीं बनाई गयी है।

चालू वर्ष 2022-23 के दौरान कुल विनियोग ₹ 71,011.92 करोड़ के विरुद्ध ₹ 10,419.02 करोड़ (14.67 प्रतिशत) की बचत हुई।

ऐसे प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुआ है, नीचे तालिका-3.7 में दिखाया गया है:

तालिका-3.7: ऐसे प्रकरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक)
अनावश्यक सिद्ध हुआ है

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	प्रावधानों से बचत
राजस्व (दत्तमत)					
1.	03- मंत्रिपरिषद्	48.80	10.50	38.15	21.15
2.	04-न्यायिक प्रशासन	267.64	32.71	254.01	46.34
3.	06- राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	2,080.92	112.07	1737.57	455.42
4.	07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय और विविध सेवाएं	10,874.35	336.42	10,378.74	832.03
5.	10- पुलिस एवं जेल	2,377.05	24.41	2,186.01	215.45
6.	11-शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	10,014.99	82.18	9,103.26	993.91
7.	12- चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	3,609.09	422.84	3,488.09	543.84
8.	13- जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	891.56	91.49	888.09	94.96
9.	14-सूचना	127.09	51.70	167.26	11.53
10.	15-कल्याण योजनाएं	2,669.31	316.55	2,285.00	700.86
11.	16-श्रम एवं रोजगार	536.55	24.64	346.05	215.14
12.	17- कृषि कार्य एवं शोध	1,155.30	38.63	959.41	234.52
13.	19-ग्रामीण विकास	1161.44	250.34	1156.36	255.42
14.	22- लोक निर्माण	993.06	56.37	902.35	147.08
15.	23-उद्योग	360.61	30.00	325.25	65.36
16.	24-परिवहन	147.19	25.70	154.10	18.79
17.	25-खादय	210.33	52.97	181.44	81.86
18.	29- औद्योगिक विकास	499.38	37.36	395.12	141.62
19.	30- अनुसूचित जातियों का कल्याण	1,702.85	36.08	1104.34	634.59
20.	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	437.24	29.17	271.95	194.46
योग		40,164.75	2,062.13	36,322.55	5,904.33
राजस्व (भारित)					
1	07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय और विविध सेवाएं	6,271.34	200.00	5,217.68	1,253.66
योग		6,271.34	200.00	5,217.68	1,253.66
पूजीगत (दत्तमत)					
1	04-न्यायिक प्रशासन	103.10	55.56	96.04	62.62
2	06- राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	258.90	15.45	234.20	40.15
3	11-शिक्षा, खेलकूद युवा कल्याण तथा संस्कृति	478.93	43.57	414.91	107.59
4	12- चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	385.07	10.00	298.37	96.70

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	प्रावधानों से बचत
5	13- जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	1219.29	294.67	1035.65	478.31
6	17- कृषि कार्य एवं शोध	50.90	18.30	44.42	24.78
7	19-ग्रामीण विकास	2,537.69	350.00	1,851.71	1,035.98
8	22- लोक निर्माण	1,345.80	220.00	1,235.14	330.66
9	23-उद्योग	87.46	72.10	120.40	39.16
10	28- पशुपालन	45.25	20.00	26.55	38.70
11	30- अनुसूचित जातियों का कल्याण	319.81	36.17	233.58	122.40
12	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	139.59	13.18	107.08	45.69
योग		6,868.69	1,093.44	5,332.01	2,630.12
महा योग		53,304.78	3,355.57	46,872.24	9,788.11



बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार द्वारा यह सूचित किया गया कि अनुपूरक प्रावधान उस समय की प्रशासनिक जरूरतों और योजनाओं की लिए विधायी प्रक्रिया के अनुसार किए गए हैं। इसके अलावा, व्यय पहलू की निगरानी की जाएगी।

उन मामलों का विवरण जहां योजना स्तर पर अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए, जिनका विस्तृत विवरण नीचे तालिका-3.7(अ) में हैं:

तालिका-3.7(अ): उन मामलों का विवरण जहां योजना स्तर पर अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	योजना का नाम	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	प्रावधानों से बचत
03	मुख्यमंत्री विवेकाधीन अनुदान	30.00	10.00	0.00	40.00	28.85	11.15
04	न्यायिक कार्यो के लिए ढांचागत सुविधाओं का विकास	80.00	50.00	0.00	130.00	80.00	50.00

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

अनुदान संख्या	योजना का नाम	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	प्रावधानों से बचत
06	तकनीकी सहायता और क्षमता विकास (विश्व बैंक परियोजना ए एफ)	210.00	10.00	0.00	220.00	187.00	33.00
07	राज्य विकास ऋणों का समेकित ऋण निधि में स्थानांतरण	200.00	200.00	0.00	400.00	100.00	300.00
12	राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन	141.87	60.00	0.00	201.87	133.54	68.33
12	मेडिकल कॉलेज एलोपैथी	413.18	19.71	0.00	432.89	366.11	66.78
15	एकीकृत बाल विकास योजना पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला मानदेय	160.28	24.44	0.00	184.72	151.46	33.26
15	नंदा गौरा योजना	500.00	130.73	0.00	630.73	334.96	295.77
22	केन्द्रीय सड़क निधि के माध्यम से किया गया कार्य	340.00	70.00	0.00	410.00	334.34	75.66
29	बागवानी विकास	264.92	36.82	1.28	303.02	257.46	45.56
31	अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में एकीकृत बाल विकास परियोजना (90% सी एस) सक्षम आंगनवाड़ी सेवा और पोषण 2.0	13.48	11.55	- 0.19	24.84	9.37	15.48
योग		2,353.73	623.25	1.09	2,978.07	1,983.09	994.99

स्रोत: बजट दस्तावेज़ और विनियोग लेखे।

चालू वर्ष 2022-23 के दौरान इन योजनाओं में कुल विनियोग ₹ 2,978.07 करोड़ के विरुद्ध ₹ 994.99 करोड़ (33.41 प्रतिशत) की बचत हुई। इसलिए, ₹ 2,353.73 करोड़ के मूल विनियोजन के मुकाबले ₹ 370.64 करोड़ की बचत हुई, ₹ 623.25 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि ₹ 994.99 करोड़ की बचत ₹ 623.25 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान से अधिक थी।

3.4 किए गए पुनर्विनियोग, जिनमें पूर्व वैधानिक प्राधिकार की आवश्यकता है

पुनर्विनियोजन एक अनुदान के भीतर विनियोग की एक इकाई से, जहां बचत प्रत्याशित हैं, दूसरी इकाई को, जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है, निधि का अंतरण है। वर्ष 2022-23 के दौरान उत्तराखण्ड में पुनर्विनियोजन का कोई भी प्रकरण नहीं पाया गया जिसके लिए पूर्व विधायी प्राधिकार की आवश्यकता हो।

3.4.1 अनावश्यक/अत्यधिक पुनर्विनियोग

छह प्रकरण जहां पुनर्विनियोग पांच करोड़ और उससे अधिक था और अंतिम बचत ₹ पांच करोड़ या पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी, जैसा कि तालिका-3.8 में दर्शाया गई है:

तालिका-3.8: अधिक/अनावश्यक विनियोग

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	अनुदान संख्या एवं लेखा शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत
		मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	योग		
1	06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन 2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 08-राज्य आपदा शमन निधि 797-आरक्षित निधि में अंतरण 03- राज्य आपदा शमन निधि से व्यय	291.47	0.00	135.25	426.72	208.12	218.60
2	07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय और विविध सेवाएं 4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 01-केन्द्र प्रायोजित योजना	1200.00	0.00	163.49	1363.49	1072.85	290.64
3	15-कल्याण योजनाएं 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 समाज कल्याण 102 बाल कल्याण 95 केन्द्र प्रायोजित योजना में राज्यांश	50.83	37.97	6.44	95.24	25.61	69.63
4	19-ग्रामीण विकास 2505 ग्रामीण रोजगार 02 ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 101 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 01 केन्द्र प्रायोजित योजना	170.00	137.64	29.08	336.72	316.75	19.97

क्र.स.	अनुदान संख्या एवं लेखा शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत
		मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	योग		
5	19-ग्रामीण विकास 4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय 102-सामुदायिक विकास 05- पीएमजीएसवाई के अंतर्गत अधिक व्यय का भुगतान	20.00	0.00	80.00	100.00	4.61	95.39
6	29-बागवानी विकास 2401 - फसल कृषि कर्म 119- बागवानी और सब्जी की फसलें 98 नाबाई वित्त पोषित	13.80	0.00	9.73	23.53	12.36	11.17

श्रोत: विनियोग लेखे।

उत्तराखण्ड बजट नियमावली के अनुसार वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार ने अनुदान के अन्दर ₹ 3,033.67 करोड़ का पुनर्विनियोजन किया। इसमें से ₹ 90.88 करोड़ की राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतिम कार्य दिवस (31 मार्च 2023) को पुनर्विनियोजित की गई थी। यह पुनर्विनियोजन 6 प्रकरणों में (₹ पाँच करोड़ से अधिक की बचत) अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसके अलावा, 2022-23 के दौरान दत्तमत राजस्व से प्रभारित राजस्व में ₹ 2.00 करोड़ की राशि के पुनर्विनियोग का एक मामला देखा गया था, जो उत्तराखण्ड सरकार के बजट मैनुअल के अनुसार अनुमन्य नहीं था। हालाँकि, वर्ष 2022-23 के दौरान पूंजीगत से राजस्व और इसके विपरीत का कोई पुनर्विनियोजन का मामला प्रकाश में नहीं आया।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने कहा कि भारत सरकार से बजट प्राप्त होने की संभावना आदि जैसी परिस्थितियों के अनुसार पुनर्विनियोग किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। राजस्व दत्तमत से राजस्व भारित के पुनर्विनियोग के संबंध में सरकार ने कहा कि भविष्य में इस तरह कि चूक की पुनरावृत्ति से बचा जाएगा।

3.5 अव्ययित राशि और समर्पित विनियोजन और/अथवा वृहद बचत/ समर्पण

आकलन की पूर्ण शुद्धता हमेशा संभव नहीं होती है; पर जहां चूक अथवा अशुद्धता पूर्व विचार की कमी का परिणाम है, स्पष्टता की उपेक्षा अथवा लापरवाह आकलन है, यह सामान्यतया क्षम्य नहीं है। समस्त आकलन अधिकारियों के लिए स्वर्णिम नियम होना चाहिए कि बजट में सब कुछ प्रदान करें जो कि देखा जा सकता है और केवल जहां तक उसकी आवश्यकता हो। प्रशासनिक व वित्त विभाग को आकलनों की लगातार, पूर्व आकलनों के औसत को ज्ञात अथवा पर्याप्त रूप से निकट तथ्य जिससे औसत परिवर्तित हो सकता है, जांच करनी चाहिए।

बचत, जिसे आदर्श रूप से समर्पित किया जाना चाहिए था, को रखने से कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। इस कारण से, विनियोजन जिनके अव्ययित रहने की संभावना है, समर्पण के लिए जितना शीघ्र संभव हो रिपोर्ट करना चाहिए। यदि यह नहीं किया गया, अन्य व्यय करने वाले विभाग निधियों से वंचित रह जाएंगे जिनको वो व्यय कर सकते थे। समर्पण सामान्यतया मार्च माह में किए जाते हैं, व्यय के आंकड़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन और विगत माह के व्यय की प्रगति का निरीक्षण नियंत्रण अधिकारी को अपनी अंतिम आवश्यकताओं को उचित कोटि की सटीकता के साथ तय करने में समर्थ होना चाहिये।

जब समर्पण की आवश्यकता स्वतः सुस्पष्ट हो, नियंत्रण अधिकारियों को राशि का आकलन करना चाहिए जिसे समर्पित किया जा सकता है। समर्पण का लक्ष्य इतना होना चाहिए कि व्यय संशोधित अनुदान के अंदर रखा जा सके।

अवास्तविक प्रस्तावों, व्यय की खराब अनुश्रवण प्रणाली, योजनाओं के क्रियान्वयन की कमजोर क्षमताओं और कमजोर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित बजटीय आवंटन वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों को अवमुक्त करने को बढ़ावा देते हैं, और विभागों द्वारा बड़ी राशि को शासकीय खाते से बाहर बैंक खाते में रखने की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं।

अनुदान में बड़ी बचत (₹ 100 करोड़ एवं अधिक) का विवरण नीचे तालिका-3.9 में दिया गया है

तालिका-3.9: वर्ष के दौरान अनुदान में बड़ी बचत (₹ 100 करोड़ एवं अधिक) का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	कुल योग	वास्तविक व्यय	बचत/ आधिक्य	कुल अनुदान के प्रतिशत के रूप में बचत	समर्पण को छोड़कर बचत
राजस्व (मतदेय)								
1	06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	2,080.92	112.07	2,192.99	1,737.57	455.42	20.77	455.42
2	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	10,874.35	336.42	11,210.77	10,378.74	832.03	7.42	832.03
3	10 पुलिस व जेल	2,377.05	24.41	2,401.46	2,186.01	215.45	8.97	215.45
4	11 शिक्षा, खेल, युवा कल्याण व संस्कृति	10,014.99	82.18	10,097.17	9,103.26	993.91	9.84	993.91
5	12 चिकित्सा स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,609.09	422.84	4,031.93	3,488.09	543.84	13.49	543.84
6	13 जलापूर्ति, आवास व शहरी विकास	891.56	91.49	983.05	888.09	94.96	9.66	94.96
7	15 कल्याण योजनाएं	2,669.31	316.55	2,985.86	2,285.00	700.86	23.47	700.86
8	16-श्रम एवं रोजगार	536.55	24.64	561.19	346.05	215.14	38.34	215.14

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	कुल योग	वास्तविक व्यय	बचत/ आधिक्य	कुल अनुदान के प्रतिशत के रूप में बचत	समर्पण को छोड़कर बचत
9	17 कृषि कार्य व शोध	1,155.30	38.63	1,193.93	959.41	234.52	19.64	234.52
10	19 ग्रामीण विकास	1161.44	250.34	1,411.78	1156.36	255.42	18.09	255.42
11	22 लोक निर्माण	993.06	56.37	1,049.43	902.35	147.08	14.02	147.08
12	29- बागवानी विकास	499.38	37.36	536.74	395.12	141.62	26.39	141.62
13	30 अनुसूचित जतियों का कल्याण	1,702.85	36.08	1,738.93	1104.34	634.59	36.49	634.59
14	31 अनुसूचित जनजतियों का कल्याण	437.24	29.17	466.41	271.95	194.46	41.69	194.46
योग		39,003.09	1,858.55	40,861.64	35,202.34	5,659.30	13.85	5,659.30
राजस्व (भारित)								
1.	07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय व विविध सेवाएँ	6,271.34	200.00	6,471.34	5,217.68	1,253.66	19.37	1,253.66
योग		6,271.34	200.00	6,471.34	5,217.68	1,253.66	19.37	1,253.66
पूँजीगत (मतदेय)								
1	06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	258.90	15.45	274.35	234.20	40.15	14.63	40.15
2	11 शिक्षा, खेल, युवा कल्याण व संस्कृति	478.93	43.57	522.50	414.91	107.59	20.59	107.59
3	13 जलापूर्ति, आवास व शहरी विकास	1,219.29	294.67	1513.96	1,035.66	478.30	31.59	478.30
4	19 ग्रामीण विकास	2537.70	350.00	2887.70	1851.72	1035.98	35.88	1,035.98
5	22 लोक निर्माण	1345.80	220.00	1565.80	1235.14	330.66	21.12	330.66
6	30 अनुसूचित जतियों का कल्याण	319.81	36.17	355.98	233.58	122.40	34.38	122.40
योग		6,160.43	959.86	7,120.29	5,005.21	2,115.08	29.70	2,115.08
महा योग		51,434.86	3,018.41	54,453.27	45,425.23	9,028.04	16.58	9,028.04

श्रोत: विनियोग लेखे

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, शासन ने 14 अनुदानों के अंतर्गत 21 प्रकरणों में ₹ 3,018.41 करोड़ का अनुपूरक अनुदान मांगा जो कि अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि मूल बजट के सापेक्ष पहले से ₹ 6,009.63 करोड़ (11.68 प्रतिशत) की बचत थी। सरकार ने इन अनुदानों के अंतर्गत किसी भी राशि का समर्पण नहीं किया। बचत के कारण राज्य सरकार द्वारा नहीं दिये गए।

3.5.1 अनुदान/विनियोग जिसमें बजट उपयोग 50 प्रतिशत से कम हुआ

2022-23 के दौरान 50 प्रतिशत से कम बजट उपयोग वाले अनुदान/विनियोग का विवरण तालिका-3.10 में दिया गया है।

तालिका-3.10: अनुदान/विनियोग जिसमें बजट उपयोग 50 प्रतिशत से कम हुआ, (2022-23 में)

क्र. स.	अनुदान संख्या व नाम	2018-19 (प्रतिशत)	2019-20 (प्रतिशत)	2020-21 (प्रतिशत)	2021-22 (प्रतिशत)	2022-23 (प्रतिशत)	वर्षों की संख्या	बजट 2022-23 (₹ करोड़ में)	विगत पाँच वर्षों का बजट (₹ करोड़ में)
1	01 विधायिका (पूँजीगत मतदेय)	99.84	76.93	17.29	15.00	8.33	3	12.00	82.70
2	08 आबकारी (पूँजीगत मतदेय)	कोई बजट आवंटित नहीं हैं, इसलिए उपयोग नहीं हैं				0	1	2.00	2.00
3	09 लोक सेवा आयोग (पूँजीगत मतदेय)	100	100	17.42	0	20.30	2	7.00	16.28
4	15 कल्याण योजनाये (पूँजीगत मतदेय)	47.17	64.14	47.87	31.33	46.03	4	134.89	584.12
5	20 सिचाई एवं बाड़ (पूँजीगत मतदेय)	78.16	52.23	36.00	31.28	46.71	3	759.87	3,400.66
6	20 सिचाई एवं बाड़ (राजस्व भारित)	कोई बजट आवंटित नहीं हैं, इसलिए उपयोग नहीं हैं				13.87	1	3.00	3.00
7	21 ऊर्जा (पूँजीगत मतदेय)	76.95	39.60	48.32	139.39	29.35	3	451.44	1,751.16
8	28 पशुपालन (पूँजीगत मतदेय)	32.88	35.15	29.32	26.71	40.69	5	65.25	189.60
9	29 बागवानी विकास (पूँजीगत मतदेय)	31.55	74.04	119.26	76.12	43.28	2	36.10	96.89

जैसा कि उपरोक्त तालिका-3.10 में वर्णित है, आठ अनुदान में बजट प्रावधान का कम उपयोग (50 प्रतिशत से कम) प्रकाश में आया। इसके अतिरिक्त विश्लेषण से उद्घाटित हुआ कि एक विभाग अर्थात् कल्याण योजनाये विभाग विगत पाँच वर्षों में से चार वर्षों में बजट आवंटन के 50 प्रतिशत उपयोग करने में सक्षम नहीं थे और पशुपालन विभाग पिछले पांच वर्षों में बजट आवंटन का 50 प्रतिशत उपयोग करने में सक्षम नहीं था।

3.5.2 ₹ एक करोड़ से अधिक की निधियों के समर्पण का विवरण

मार्च के अंत में ₹ एक करोड़ से अधिक की निधियों के समर्पण का विवरण तालिका-3.11 में दिया गया है।

तालिका-3.11: 31 मार्च तक में ₹ एक करोड़ से अधिक की निधियों के समर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)


क्र. सं	अनुदान संख्या व नाम	मूल	अनुपूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत(-)/आधिक्य (+)	समर्पित राशि
शून्य							

उत्तराखण्ड राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कोई धनराशि समर्पित नहीं की।

3.5.3 उपयोग की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या के वितरण

उपयोग की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या के वितरण का विवरण नीचे चार्ट-3.2 में दिया गया है:

चार्ट-3.2: उपयोग की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या के वितरण




जैसा कि उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है, कि 22 अनुदानों/विनियोगों में उपयोग बजट आवंटन के 70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के मध्य एवं 5 अनुदानों में उपयोगिता 50 से 70 प्रतिशत के मध्य, एक अनुदानों/ विनियोगों में उपयोगिता 50 प्रतिशत से कम तथा तीन अनुदानों/ विनियोगों, अर्थात् 07- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय व विविध सेवाएँ, 10-पुलिस एवं कारागार और 14-सूचना में उपयोग बजट आवंटन के 90 प्रतिशत से ऊपर था।

3.5.4 वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति के पूर्व बचत एवं समर्पण का विवरण

वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति के पूर्व बचत एवं समर्पण का विवरण चार्ट-3.3 में दिया गया है:-

चार्ट-3.3: वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति के पूर्व बचत एवं समर्पण

(₹ करोड़ में)




जैसा कि ऊपर से स्पष्ट है, वर्ष 2022-23 के दौरान बजट के आंकड़ों की तुलना में ₹ 10,419 करोड़ की बचत हुई। तथापि, विभिन्न सरकारी विभागों ने वर्ष 2022-23 के दौरान समर्पण के लिए कोई राशि प्रस्तावित नहीं की और न ही किसी विभाग द्वारा कोई धनराशि समर्पित की गई।

3.5.5 बजट आवंटन और उसका उपयोग

बजट आवंटन (मूल और पूरक) और इसका उपयोग नीचे चार्ट-3.4 में दिया गया है:

चार्ट-3.4: 2018-19 से 2022-23 में बजट उपयोग



3.6 अधिक व्यय और उसका नियमतीकरण

संविधान के अनुच्छेद 205 (1) (ब) के अनुसार यदि एक वित्तीय वर्ष में किसी सेवा में कोई धन उस वर्ष के लिए उस सेवा पर आधिक्य में व्यय किया जाता है, राज्यपाल ऐसे आधिक्य की मांग को राज्य की विधान सभा में प्रस्तुत करेगा। इससे यह प्रदर्शित होता है

कि राज्य सरकार के लिए अनिवार्य हैं कि वित्तीय वर्ष में अनुदानों/विनियोगों में आधिक्य का नियमतीकरण करें।

यद्यपि अनुच्छेद में अधिक व्यय के नियमतीकरण की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, अधिक व्यय का नियमतीकरण लोक लेखा समिति के विनियोग लेखों पर चर्चा समाप्त करने के बाद किया जाता है। ऐसा न करना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है और लोक धन के उपयोग पर कार्यपालिका के विधान सभा द्वारा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य को विफल करता है।

3.6.1 2022-23 से संबन्धित अधिक व्यय

वर्ष के लिए प्रावधान से अधिक व्यय न केवल विधायी स्वीकृति की आवश्यकता के प्रावधानों का उल्लंघन हैं बल्कि खराब योजना का सूचक भी है जिससे इस उद्देश्य के लिए बनाए गये बजट के साथ व्यय की प्रगति को देखते हुए बचाया जा सकता था। वित्तीय वर्ष के लिए प्रावधान से अधिक व्यय का सार तालिका-3.12 में दिया गया है।

तालिका-3.12: 2022-23 के दौरान अनुदानों/विनियोजनों से अधिक वितरण का सार

(₹ करोड़ में)

	विभाग/अनुदान का नाम
	07- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय व विविध
पूँजीगत भारित	896.53
कुल आधिक्य	896.53

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

3.6.2 प्राधिकार से अधिक मुख्य शीर्ष वार वितरण का विवरण

उत्तराखण्ड बजट नियमावली के पैरा 151 के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के खंड (1) और (2) के उप-खंड (ब) के अंतर्गत, यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सेवा पर उस वर्ष उस सेवा के लिए दी गई राशि से अधिक राशि व्यय की गयी है तो ऐसे आधिक्य के लिए विधान सभा में मांग प्रस्तुत की जाएगी और इसका समाधान उसी प्रकार से किया जाना चाहिए जैसे कि अनुदान के लिए मांग का किया जाता है। 2022-23 के दौरान राज्य की समेकित निधि से प्राधिकार से अधिक मुख्य शीर्ष वार वितरण का विवरण तालिका-3.13 में दिया गया है।

तालिका-3.13: राज्य की समेकित निधि से प्राधिकार से अधिक व्यय का मुख्य शीर्ष वार वितरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोग	कुल	व्यय	आधिक्य	विभाग द्वारा बताए गए आधिक्य के कारण
1	2	3	4	5	6	7 = 5+6	8	9= 8-7	10
1.	07	2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	3.50	(-)0.23	3.27	4.06	0.79	

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोग	कुल	व्यय	आधिक्य	विभाग द्वारा बताए गए आधिक्य के कारण
2.	07	6003	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	7497.03	0.00	7497.03	8412.58	915.55	विभाग द्वारा कारण उपलब्ध नहीं कराया गया
3.	07	7615	विविध ऋण	7578.24	0.00	7578.24	8474.77	896.53	
4.	24	7055	सड़क परिवहन के लिए ऋण	22.47	(-)16.47	6.00	17.76	11.76	
योग								1824.63	

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखें।

3.6.3 कतिपय अनुदानों में निरंतर आधिक्य

कुछ अनुदानों में वर्ष दर वर्ष अधिक व्यय की प्रवृत्ति देखी गयी है। निरंतर अधिक व्यय दर्शाता है कि विभाग में बजटीय नियंत्रण के साथ साथ वित्त विभाग की निगरानी अप्रभावी थी तथा बजट प्राक्कलन अनुमान वास्तविक आधार पर नहीं बनाए गए थे। इस प्रकार बार-बार किए गए ऐसे अधिक व्यय राज्य विधानमंडल की इच्छा के विरुद्ध थे। विधायी प्राधिकार के बिना एक रुपया व्यय नहीं किया जा सकता है और इसलिए, यह कार्यपालिका की ओर से एक गंभीर चूक है। निरन्तर आधिक्य व्यय बजट की तैयारी के समय अनुचित प्राक्कलन के कारण हो सकता है। 2018-19 से 2022-23 के दौरान लगातार एक अनुदान में आधिक्य प्रदर्शित हुआ जिसे नीचे तालिका-3.14 में दिया गया है:

तालिका-3.14: 2018-19 से 2022-23 तक के दौरान एक अनुदान में देखी गयी अधिकता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
01	अनुदान संख्या.-07: वित्त, कर, योजना, सचिवालय एवं विविध (पूँजीगत भारित)					
	कुल अनुदान	3,182.00	2,876.31	3,503.31	अधिकता नहीं हैं	7,578.24
	व्यय	10,230.14	9,096.03	8,269.59		8,474.77
	कुल आधिक्य	7,048.14	6,219.72	4,766.28		896.53
	डब्लू एम ए के अंतर्गत आधिक्य	7,072.64	5,865.36	4,561.42		1,195.47

स्रोत: विनियोग लेखें।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, अनुदान संख्या 07 वित्त, कर, योजना, सचिवालय और विविध में 2018-19 से 2020-21 और 2022-23 की अवधि में लगातार अधिकता देखी गयी थी। यह देखा गया कि यह लगातार व्यय की अधिकता इन वर्षों के दौरान अर्थोपाय अग्रिमों में अधिकता के बड़े हिस्से के कारण हुई। सरकार ने इसका कोई कारण नहीं बताया है।

3.6.4 विगत वित्तीय वर्षों के अतिरिक्त व्यय का नियमितीकरण

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के अध्याय XIII के अनुच्छेद 121 में परिकल्पित है कि यदि वर्ष के समापन के पश्चात यह ज्ञात होता है कि विनियोग खाते के माध्यम से उस वर्ष के लिए अंतिम विनियोजन से अधिक किसी भी अनुदान या भारित विनियोग के तहत कोई व्यय किया गया था, तो व्ययाधिक्य को लोक लेखा समिति की अनुशंसा के आधार पर विधान सभा को प्रस्तुत करके, संविधान के अनुच्छेद 205(1) (ब) के अंतर्गत नियमित किया जाना चाहिए। यद्यपि, 2005-06 से 2021-22 तक विगत वर्षों के ₹ 47,758.16 करोड़ के व्ययाधिक्य को विधानसभा द्वारा नियमित किया जाना अभी शेष है। ₹ 47,758.16 करोड़ में से, ₹ 27,722.40 करोड़ अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत आधिक्य से संबंधित है और ₹ 19,041.88 करोड़ अनुदान संख्या 17,25 और 29 के अंतर्गत आधिक्य से संबंधित है। अनुदान संख्या 7 (वित्त, कर, योजना, सचिवालय और विविध सेवाएँ) के अंतर्गत अर्थोपाय अग्रिम में अतिरिक्त व्यय, बजट अनुमान से अधिक अर्थोपाय अग्रिम के तहत ऋणों के पुनर्भुगतान के कारण था। इसके अलावा, अनुदान संख्या 17 (कृषि कार्य और अनुसंधान), अनुदान संख्या 25 (खाद्य) और अनुदान संख्या 29 (बागवानी विकास) के तहत परिलक्षित अतिरिक्त व्यय इस तथ्य के कारण था कि बजट अनुमान वसूली के बाद तैयार किए गए थे। (बजट अनुमान सकल आधार के बजाय शुद्ध आधार पर तैयार किए गए थे)

विनियमितीकरण के लिए लंबित अतिरिक्त व्यय का वर्ष वार विवरण तालिका-3.15, तालिका 3.15(अ) और तालिका 3.15(ब) में दिया गया है।

तालिका-3.15: नियमितीकरण के लिए लंबित व्ययाधिक्य धनराशि का वर्ष वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान संख्या/ विनियोग	अनुदान/विनियोग विवरण	विनियोग लेखों में वर्णित नियमितीकरण योग्य अतिरिक्त राशि	नियमितीकरण की स्थिति
2005-06	7	7,8,17,20,22,25 एवं 29	663.50	अभी तक नियमित नहीं
2006-07	6	7,17,20,22,25 एवं 29	935.92	
2007-08	6	7,17,20, 22,25 एवं 29	733.79	
2008-09	6	7,17,20,22,25 एवं 29	1,146.41	
2009-10	7	7,17,18,21,22,25 एवं 29	1,007.49	
2010-11	9	10,12,15,17,20,21,22,25 एवं 29	1,295.40	
2011-12	5	7,17,22,25 एवं 29	1,611.40	
2012-13	7	12,14,17,21,22,25 एवं 29	1,835.34	

वर्ष	अनुदान संख्या/ विनियोग	अनुदान/विनियोग विवरण	विनियोग लेखों में वर्णित नियमितीकरण योग्य अतिरिक्त राशि	नियमितीकरण की स्थिति
2013-14	3	22,25 एवं 29	1,837.15	
2014-15	4	17,22, 25 एवं 29	1,922.80	
2015-16	4	17, 22, 25 एवं 29	2,334.24	
2016-17	4	07, 17, 25 एवं 29	5,457.33	
2017-18	6	07,17,20,22,25 एवं 27	6,413.38	
2018-19	3	07,19 एवं 25	8,464.98	
2019-20	3	07,17 एवं 25	7214.48	
2020-21	6	07,17,18,19,25 एवं 29	4,884.55	
2021-22	--	---	0.00	
योग			47,758.16	

स्रोत: विनियोग लेखें

तालिका-3.15 (अ): अनुदान संख्या 17, 25 एवं 29 के अंतर्गत नियमितीकरण के लिए लंबित व्ययाधिक्य धनराशि का वर्ष वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों की संख्या	अनुदान/विनियोग विवरण	विनियोग लेखों में वर्णित नियमितीकरण योग्य अतिरिक्त राशि	नियमितीकरण की स्थिति
2005-06	3	17, 25 एवं 29	492.66	अभी तक नियमित नहीं
2006-07	2	17, एवं 25	408.31	
2007-08	3	17, 25 एवं 29	386.78	
2008-09	3	17, 25 एवं 29	580.44	
2009-10	3	17, 25 एवं 29	931.04	
2010-11	3	17, 25 एवं 29	1,240.96	
2011-12	3	17, 25 एवं 29	1,306.09	
2012-13	3	17, 25 एवं 29	1,828.36	
2013-14	2	25 एवं 29	1,780.56	
2014-15	3	17, 25 एवं 29	1,763.02	
2015-16	3	17, 25 एवं 29	2,218.20	
2016-17	3	17, 25 एवं 29	2,270.88	
2017-18	2	17, एवं 25	1,326.11	
2018-19	1	25	1,414.04	
2019-20	2	17, एवं 25	994.76	
2020-21	3	17,25 एवं 29	99.67	
योग			19,041.88	

तालिका-3.15 (ब): डब्लू एम ए में नियमितीकरण के लिए लंबित व्ययाधिक्य धनराशि का वर्ष वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/विनियोग विवरण	विनियोग लेखों में वर्णित नियमितीकरण योग्य अतिरिक्त राशि	नियमितीकरण की स्थिति
2006-07	07	376.14	अभी तक नियमित नहीं
2007-08	07	311.94	
2008-09	07	475.86	
2009-10	07	199.81	
2010-11	07	5.87	
2011-12	07	431.17	
2016-17	07	3,291.28	
2017-18	07	5,130.91	
2018-19	07	7,072.64	
2019-20	07	5,865.36	
2020-21	07	4,561.42	
	योग	27,722.40	

स्रोत: विनियोग लेखें।

राज्य सरकार द्वारा इन व्ययाधिक्य का कोई कारण अवगत नहीं कराया गया है। इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 का उल्लंघन है, जिसमें प्रावधानित है कि राज्य विधायिका द्वारा कानून द्वारा किए गए विनियोग के सिवाय समेकित निधि से कोई धनराशि आहरित नहीं की जाएगी। यह बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को विकृत करता है और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान सरकार ने कहा कि आधिक्य पूरी तरह से लेखांकन प्रकृति का था। डब्लू एम ए के तहत बजटीय आवंटन न्यूनतम रखा जाता है ताकि बजट में वृद्धि न हो।

सरकार के लिए दीर्घकालिक योजना और बजटीय अनुशासन सुनिश्चित करते हुए पारदर्शी और जवाबदेह राजकोषीय प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से व्यय आधिक्य को संबोधित करना आवश्यक है।

3.7 पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए सहायता अनुदान

सहायता अनुदान, सहायता, दान या एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार, निकाय, संस्था या व्यक्ति को दिए गए योगदान के रूप में भुगतान है। परिसंपत्ति निर्माण के साथ-साथ किसी संस्था को निर्दिष्ट उद्देश्य का समर्थन करने हेतु सहायता अनुदान दिया जाता है।

भारत सरकार लेखा मानक-2 (आई जी ए एस 2) के अनुसार, अनुदानकर्ता द्वारा अनुदेयी के वितरित सहायता अनुदान, उद्देश्य चाहे जो भी हो, को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत

एवं लेखांकित किया जाएगा, सिवाय उन मामलों में जहां यह विशेष रूप से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत किया गया है।

यह देखा गया है कि पूंजीगत परिसंपत्ति के लिए सहायता अनुदान को कभी-कभी पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इससे राजस्व घाटा न्यूनदर्शित होता है।

2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत सहायता अनुदान का विवरण तालिका-3.16 में दिया गया है।

तालिका-3.16: पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत सहायता अनुदान का विवरण


(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज सहायता अनुदान	47.00	46.00	80.00	26.00	0.00
कुल पूंजीगत व्यय	6,184.00	5,414.00	6,538.00	7,533.00	8,195.00
पूंजीगत व्यय में सहायता अनुदान का अंश (प्रतिशत में)	0.76	0.86	1.22	0.35	0.00
सहायता अनुदान से व्यय को राजस्व व्यय के रूप में दिखाने के फलस्वरूप राजस्व घाटे (-)/ राजस्व अधिशेष (+) पर प्रभाव	(-) 1,027	(-) 2, 182	(+)1,034	(+)4,102	(+)5,310

पूंजीगत व्यय में सहायता अनुदान के अंश का विवरण नीचे दिए गए चार्ट-3.5 में दिया गया है।

चार्ट-3.5: पूंजीगत व्यय में सहायता अनुदान का अंश का विवरण

(प्रतिशत में)



राज्य सरकार ने 2018-19 से 2021-22 की अवधि में सहायता अनुदान को पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज करना जारी रखा है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए राजस्व घाटे को कम दर्शाया गया और वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए राजस्व अधिशेष को अधिक दर्शाया गया। हालाँकि, 2022-23 के दौरान किसी भी सहायता अनुदान को पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज नहीं किया गया था।

बजटीय और लेखा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणी: एकमुश्त बजट प्रावधान

बजट मैनुअल के पैरा 31 (अध्याय-5) के अनुसार, यह प्रावधान है कि, एक नियम के रूप में, अनुमानों में एकमुश्त प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, उत्तराखण्ड सरकार ने मुख्यमंत्री की घोषणा के लिए एकमुश्त अनुदान, जिला योजना के कार्यान्वयन के लिए एकमुश्त राशि जैसी योजनाओं के लिए 2022-23 के दौरान ₹ 789.18 करोड़ का एकमुश्त बजटीय प्रावधान किया।

इसके अलावा, सरकार ने 24 वस्तु शीर्षों की उपलब्धता के बावजूद वस्तु शीर्ष "अन्य विभागीय व्यय" के तहत ₹ 3,861.44 करोड़ का व्यय किया

3.8 बजट अनुमान और अपेक्षा एवं वास्तविकता के बीच अंतराल

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियों और सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न राजकोषीय संकेतकों की प्राप्ति के लिए संतुलन रखता है। अवास्तविक प्रस्तावों, खराब व्यय अनुश्रवण तंत्र कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता और कमजोर आंतरिक नियंत्रण के प्रतिस्पर्धा विकासात्मक आवश्यकताओं के बीच श्रेष्ठ आवंटन न हो पाने का कारण बनता है। कुछ विभागों में अत्यधिक बचत, अन्य विभागों को उस धन से वंचित कर देती है जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

वर्ष 2022-23 के दौरान 31 अनुदानों/ विनियोगों के संबंध में मूल और अनुपूरक प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय की सारंशीकृत स्थिति तालिका-3.17 में दी गई है।

तालिका-3.17: 2022-23 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय की सारंशीत स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय का प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	निवल बचत (-) आधिक्य (+)	मार्च के दौरान अभ्यर्पण	
							धनराशि	प्रतिशत
दत्तमत	I. राजस्व	42,594.08	2,072.46	44,666.54	38,434.43	(-)6,232.11	0.00	0.00
	II. पूंजीगत	10,840.27	1,154.00	11,994.27	8,251.77	(-)3,742.50		
	III. ऋण एवं अग्रिम	149.67	0.00	149.67	93.63	56.04		
	कुल	53,584.02	3,226.46	56,810.48	46,779.83	(-)10,030.65		
भारत	IV. राजस्व	6,419.23	203.97	6,623.20	5,338.30	(-)1,284.90	0.00	0.00
	V पूंजीगत	0	0	0	0	0		
	VI लोक ऋण पुनर्भुगतान	5,568.24	2,010.00	7,578.24	8,474.77	(+)896.53		
	कुल	11,987.47	2213.97	14,201.44	13,813.07	388.37		
आकस्मिक निधि से विनियोग (यदि कोई हो)		0	0	0	0	0		
महायोग		65,571.49	5,440.43	71,011.92	60,592.90	10,419.02		

स्रोत: विनियोग लेखें।

जैसा कि उपरोक्त में दर्शाया गया है, बजटीय आंकड़ों से ₹ 10,419.02, करोड़ की कुल निवल बचत हुई जो कि अनुदानों एवं विनियोगों में ₹ 11,315.55 करोड़ की बचत का और ₹ 896.53 करोड़ के आधिक्य के प्रतिसंतुलन का परिणाम है। इसके अलावा वर्ष 2022-23 के दौरान कोई समर्पण नहीं किया गया।

2018-19 से 2022-23 के दौरान मूल बजट, पुनरीक्षित आकलन और वास्तविक व्यय का विवरण तालिका-3.18 में दिया गया है।

तालिका-3.18: 2018-19 से 2022-23 के दौरान मूल बजट, पुनरीक्षित आकलन और वास्तविक व्यय


(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
मूल बजट	45,585.09	48,663.90	53,526.97	57,937.83	65,571.49
अनुपूरक बजट	2,452.40	2,533.90	4,063.79	7,074.57	5,440.43
कुल बजट	48,037.49	51,197.80	57,590.76	65,012.40	71,011.92
पुनरीक्षित आकलन	43,460.93	45,081.50	51,343.15	53,130.62	67,753.65
वास्तविक व्यय	49,395.84	47,973.19	52,000.11	50,694.35	60,592.90
बचत (-)/ आधिक्य(+)	(+)1,358.35	(-)3,224.61	(-)5,590.65	(-)14318.05	(-)10,419.02
मूल प्रविधान में अनुपूरक की प्रतिशतता	5.38	5.21	7.59	12.21	8.30
मूल प्रविधान में सम्पूर्ण बचत / आधिक्य की प्रतिशतता	लागू नहीं	6.30	9.71	22.02	14.67
कुल बजट - पुनरीक्षित आकलन	4,576.56	6,116.30	6,247.61	11,881.78	3,258.27
पुनरीक्षित आकलन - वास्तविक व्यय	(+)5,934.91	(+)2,891.69	(+)656.96	(-)2,436.27	(-)7,160.75
कुल बजट से (कुल बजट-पुनरीक्षित आकलन) का प्रतिशतता	9.53	11.95	10.85	18.28	4.59
कुल बजट से (वास्तविक व्यय - पुनरीक्षित आकलन) का प्रतिशतता	(+) 12.35	(+) 5.65	(+)1.14	(-)3.75	(-)10.08

स्रोत:- संबन्धित वर्षों के बजट दस्तावेज़ तथा विनियोग लेखें।

तालिका-3.18 में प्रदर्शित है कि 2022-23 के दौरान ₹ 5,440.43 करोड़ का पूरक प्रावधान मूल प्रावधान का 8.30 प्रतिशत था, जबकि पिछले वर्ष में यह 12.21 प्रतिशत था।

चार्ट-3.6: बजट अनुमान, पुनरीक्षित अनुमान और वास्तविक रुझानों का विवरण




उपरोक्त तालिका संख्या 3.18 से यह देखा जा सकता है कि 2018-19 से 2022-23 तक के वर्षों में, पुनरीक्षित अनुमान हमेशा राज्य के कुल बजट से कम था। पुनरीक्षित अनुमान और कुल बजट के बीच अंतर में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई, जिसमें पहले चार वर्षों के दौरान, अंतर 9.53 प्रतिशत से 18.28 प्रतिशत की सीमा में था। हालाँकि, चालू वर्ष 2022-23 के दौरान यह तेजी से घटकर 4.59 प्रतिशत हो गया, जो बड़ी/छोटी अनुमान त्रुटि को दर्शाता है।

प्रतिशत के संदर्भ में, पुनरीक्षित अनुमान 2018-19 में कुल बजट से 9.53 प्रतिशत कम था जो कि 2021-22 में बढ़कर 18.28 प्रतिशत हो गया। हालाँकि, यह 2022-23 में घटकर 4.59 प्रतिशत रह गई। इसके अलावा, 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान वास्तविक व्यय का प्रतिशत भी पुनरीक्षित अनुमान से अधिक था और 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान यह 1.14 प्रतिशत से 12.35 प्रतिशत के बीच था। इसके अलावा, वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान वास्तविक व्यय का प्रतिशत पुनरीक्षित अनुमान से क्रमशः 3.75 प्रतिशत और 10.08 प्रतिशत कम था। ऐसे में वर्ष 2018-19 में अनुपूरक प्रावधान की आवश्यकता थी क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से अधिक था। हालाँकि, वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल बजट प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं आया।

यह दर्शाता है कि बजटीय आवंटन अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित थे क्योंकि राज्य के बजट अनुमान हमेशा बढ़े हुए थे, और पिछले चार वर्षों के दौरान वास्तविक व्यय बजटीय प्रावधानों से कम था।

विनियोग लेखों में विचलन के स्पष्टीकरण का सार नीचे दिए गए चार्ट-3.7 में दिया गया है:

चार्ट-3.7: विनियोग लेखे में विचलन के स्पष्टीकरण का सार



2022-23 के दौरान, राज्य सरकार ने 31 अनुदानों और विनियोगों के अंतर्गत विभिन्न मुख्य लेखा शीर्षों के अन्तर्गत 1,124 विस्तृत शीर्षों के तहत व्यय निर्धारित किया। कुल बजट प्रावधान के सापेक्ष 1,124 विस्तृत शीर्षों में से 765 विस्तृत शीर्षों में भिन्नता (20 प्रतिशत अथवा अधिक) देखी गयी। 765 विस्तृत शीर्षों में से केवल 32 विस्तृत शीर्षों में स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ था हालांकि, 733 विस्तृत शीर्षों में स्पष्टीकरण की और आवश्यकता थी। आगे, 1,124 विस्तृत शीर्षों में से 359 विस्तृत शीर्षों के संबंध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इन विस्तृत शीर्षों में भिन्नता 20 प्रतिशत से कम थी।

3.9 अनुपूरक बजट और अवसर लागत

अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय विभाग कई बार विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों के अंतर्गत, विभिन्न प्रयोजनों के लिए बड़ी अतिरिक्त आवश्यकता के लिए विधायिका को प्रतिवेदित करते हैं, लेकिन अंत में वे न केवल सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान या उसके भागों बल्कि मूल बजट प्रावधान को भी खर्च करने में असमर्थ होते हैं। उसी जगह कुछ योजनाएँ धन की कमी के कारण अपूर्ण रह जाती हैं। इस प्रकार, अपूर्ण योजनाओं के इच्छित लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसके अलावा, इससे परियोजना लागत में वृद्धि होती है।

सरकार, वित्त मंत्री के बजट भाषण और अन्य बजट दस्तावेजों के माध्यम से कई नई नीतियों/योजनाओं को लागू करने के लिए घोषणा करती है जो या तो उस वित्तीय वर्ष के लिए अर्थात् एक बार की गतिविधि या आवृत्ती प्रकृति की होती हैं।

पूंजीगत मतदेय खंड के अंतर्गत अप्रयुक्त निधियों का विवरण तालिका-3.19 में दिया गया है।

तालिका-3.19: पूंजीगत मतदेय खंड के अंतर्गत अप्रयुक्त निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	अनुदान का नाम	मूल आवंटन	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	अप्रयुक्त निधि
पूंजीगत (मतदेय)						
1	04- न्यायिक प्रशासन	103.10	55.56	158.66	96.04	62.62
2	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	258.90	15.45	274.35	234.20	40.15
3	11 शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति	478.93	43.57	522.50	414.91	107.59
4	12 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	385.07	10.00	395.07	298.37	96.70
5	13 जल आपूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	1219.29	294.67	1513.96	1035.66	478.30
6	17 कृषि कार्य व शोध	50.90	18.30	69.20	44.42	24.78
7	18- सहकारिता	82.00	5.00	87.00	73.00	14.00
8	19 ग्रामीण विकास	2537.69	350.00	2887.69	1851.71	1035.98
9	22 लोक निर्माण	1345.80	220.00	1565.80	1235.14	330.66
10	23 उद्योग	87.46	72.10	159.56	120.40	39.16
11	28 पशुपालन	45.25	20.00	65.25	26.55	38.70
12	30 अनुसूचित जातियों का कल्याण	319.81	36.17	355.98	233.58	122.40
13	31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	139.59	13.18	152.77	107.08	45.69
	कुल	6,950.69	1,098.44	8,049.13	5,675.02	2,374.11

स्रोत: विनियोग लेखे।

वर्ष के दौरान, धन की कमी के कारण पूर्ण नहीं की जा सकने वाली योजनाओं/परियोजनाओं के संबंध में राज्य सरकार से आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण, लेखापरीक्षा में यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या उन योजनाओं/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पूंजी खंड के अंतर्गत ₹ 2,374.11 करोड़ की बचत का उपयोग किया जा सकता था।

3.10 पुनर्विनियोग के संबंध में वित्तीय शक्ति का पालन

पुनर्विनियोग आदेशों के लेखापरीक्षा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि सभी पुनर्विनियोग वित्त विभाग, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी किए गए थे। अनुदान और मूल बजट के योजनाओं के अंतर्गत ₹ 3,033.67 करोड़ का पुनर्विनियोजन किया गया था। हालाँकि, 2022-23 के दौरान दत्तमत राजस्व से प्रभारित राजस्व में ₹ दो करोड़ की राशि के पुनर्विनियोजन का एक प्रकरण देखा गया था। हालाँकि, वर्ष 2022-23 के दौरान पूंजी से राजस्व में पुनर्विनियोजन और इसके विपरीत का कोई मामला सामने नहीं आया। वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात पुनर्विनियोजन का कोई प्रकरण नहीं बनाया गया।

3.11 बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएँ और उनकी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्त पोषण

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा शुरू की गई कई नीतिगत योजना के दिशानिर्देशों/तौर-तरीकों की मंजूरी न मिलने, प्रशासनिक मंजूरी के अभाव में काम शुरू न होने, बजट जारी न होने आदि के कारण पूरी तरह या आंशिक रूप से निष्पादित किया जाता है। यह लाभार्थियों को इच्छित लाभों से वंचित करता है।

यह देखा गया है कि नौ योजनाओं (प्रत्येक योजना में ₹ 10 करोड़ या अधिक) के तहत ₹ 365.07 करोड़ का संशोधित परिव्यय था, लेकिन कोई व्यय नहीं हुआ जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं हुआ, जैसा कि नीचे तालिका-3.20 में दिखाया गया है।

तालिका-3.20: उस योजना का विवरण जिसके लिए प्रावधान (₹ 10 करोड़ और अधिक) किया गया था लेकिन या तो प्रावधान वापस ले लिया गया या कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	अनुदान का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय (मूल + अनुपूरक)	संशोधित परिव्यय (पुनर्विनियोजन के बाद)
1	01-विधानसभा	गैरसॅण में ग्रीष्मकालीन विधान सभा का निर्माण	10.00	0.01
2	07-वित्त, कर, योजना, सचिवालय और विविध सेवाएँ	वित्तीय वर्ष 22-23 में बाजार प्राप्त ऋण	300.00	300.00
3		राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि पर ब्याज	55.00	55.00
4	11-शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति	श्राइन बोर्ड को अनुदान	10.00	10.00
5	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राज्य में मातृत्व के लिए ईजा-बोर्ड शगुन योजना	1,489.95	0.01
6	13-जल आपूर्ति आवास एवं शहरी विकास	गैरसॅण में अवसंरचना कार्य	10.00	0.01
7	15-कल्याणकारी योजनाएँ	मुख्यमंत्री आंगनबाडी भवन निर्माण एवं उन्नयन योजना	20.00	0.01
8	27-वन	टाइगर फाउंडेशन को समर्थन	12.00	0.01
9	29-उद्योगिकी विकास	सघन वृक्षारोपण के लिए पौध का आयात	14.00	0.02
योग			1,920.95	365.07

स्रोत: बजट दस्तावेज़ 2022-23 एवं 2023-24।

इसके अलावा, छह योजनाओं के तहत, ₹ 274.75 करोड़ का अनुमोदित परिव्यय था जिसे संशोधित परिव्यय में पूरी तरह से वापस ले लिया गया था जैसा कि तालिका-3.21 में नीचे दिखाया गया है जो कि यह दर्शाता है कि बजटीय आवंटन अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित थे।

तालिका-3.21: उस योजना का विवरण जिसके लिए प्रावधान (₹ पांच करोड़ और अधिक) किए गए थे लेकिन पुनर्विनियोजन के माध्यम से पूरी तरह से वापस ले लिया गया था

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	अनुदान का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	वापसी का कारण
1	07- वित्त, कर, योजना, सचिवालय और विविध सेवाएँ	यू एस डी ए आई डी द्वारा पोषित परियोजना	40.00	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में ₹ 40.00 करोड़ की कमी वेतन के अलावा सहायता अनुदान में बचत के कारण थी
2.		विभिन्न विभागों के राज्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों के सेवानिवृत्ति लाभ (एक बार)	200.00	पेंशन/संतुष्टि/अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में बचत के कारण
3	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	नर्सिंग कॉलेज की स्थापना	6.85	वृहद कार्यों में बचत के कारण
4	13-जल आपूर्ति आवास एवं शहरी विकास	शहरी क्षेत्रों में जल मीटर	11.00	उपकरण, मशीन और सहायक उपकरण में बचत के कारण
5	17-फसल पालन एवं अनुसंधान	एकीकृत कृषि ग्राम योजना	12.00	अन्य विभागीय व्यय में बचत के कारण
6	24-परिवहन	हलदवानी (एस पी ए) में आईएसबीटी की स्थापना	5.00	प्रमुख कार्यों में बचत के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में ₹ पाँच करोड़ की कमी हुई
योग			274.75	

3.12 व्यय की तीव्रता

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के अध्याय XVII के प्रस्तर 183 में अंकित है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की तीव्रता से बचा जाना चाहिए। उचित वित्तीय प्रबंधन के लिए, व्यय की एक समान प्रवृत्ति को बनाए रखा जाना चाहिए। इसके विपरीत, वर्ष 2022-23 के लिए आठ मुख्य शीर्षों से संबन्धित कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक व्यय मार्च 2023 में किया गया, जैसा कि नीचे दी गयी तालिका-3.22 में सूचीबद्ध है।

तालिका-3.22: मुख्य शीर्ष, जहां केवल मार्च माह में ही 50 प्रतिशत से अधिक खर्च किया गया था
(प्रतिशत में)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चतुर्थ तिमाही	योग	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय, कुल व्यय के प्रतिशतता के रूप में
1	2801	ऊर्जा	0.00	0.06	0.03	0.4	0.49	0.38	77.55
2	4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	99.19	196.58	59.64	1199.53	1554.94	834.23	53.65
3	4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	0.48	0.85	0.63	55.03	56.99	41.49	72.80
4	4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	15.76	0	0.26	27.55	43.57	26.38	60.55
5	4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	1.40	2.71	0	13.46	17.57	10.97	62.44
6	4406	वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	0	2.66	7.88	46.06	56.60	38.97	68.85
7	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0	0.15	1.01	4.70	5.86	4.31	73.55
8	4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2.20	34.07	28.52	113.49	178.28	94.06	52.76
कुल			119.03	237.08	97.97	1,460.22	1,914.30	1,050.79	54.89

मासिक व्यय में एकरूपता नहीं थी जैसा कि उत्तराखण्ड बजट नियमावली के अंतर्गत आवश्यक था, क्योंकि आठ मुख्य शीर्षों के अंतर्गत किए गए व्यय का 76.28 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2022-23 की अंतिम तिमाही में किया गया था। जबकि व्यय का 54.89 प्रतिशत मार्च 2023 के महीने में किया गया था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान सरकार ने सुनिश्चित किया कि भविष्य में सुधारत्मक उपाय किए जाएंगे।

सरकारी धन पूरे वर्ष समान रूप से खर्च किया जाना चाहिए। व्यय की गति स्थिर बनाए रखना मजबूत सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह अप्रत्याशित भारी व्यय से उत्पन्न होने वाले राजकोषीय असंतुलन और अस्थायी नकदी संकट को दूर करता है। राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान व्यय करने के लिए कोई तिमाही वार प्रतिशत निर्धारित नहीं किया है, ताकि चरणबद्ध तरीके से व्यय को विनियमित किया जा

सके। सभी अनुदानों पर किए गए व्यय का त्रैमासिक विवरण निम्नलिखित तालिका-3.23 में दर्शाया गया है:

तालिका-3.23: 2022-23 के दौरान सभी अनुदानों में सभी मुख्य शीर्ष के लिए तिमाही वार व्यय दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	विवरण	22-23 के दौरान आवंटन	व्यय					वर्ष 2022-23 में कुल व्यय	कुल व्यय के सापेक्ष चतुर्थ तिमाही में व्यय की प्रतिशता	कुल व्यय के सापेक्ष मार्च में व्यय की प्रतिशता
			प्रथम तिमाही	दुनिया तिमाही	तीसरी तिमाही	चतुर्थ तिमाही	मार्च में			
1	विधान सभा	96.83	15.12	18.65	18.08	18.52	5.70	70.37	26.31	8.10
2	राज्यपाल	14.98	3.55	2.59	3.24	3.58	1.43	12.96	27.62	11.03
3	मंत्रालय परिषद	109.50	2.88	10.36	29.07	43.58	26.80	85.89	50.74	31.20
4	न्यायिक प्रशासन	526.80	89.67	138.21	87.21	89.74	32.49	404.83	22.17	8.03
5	चुनाव	97.87	4.77	28.87	20.28	30.60	19.98	84.52	36.20	23.64
6	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	2469.97	137.37	848.66	188.83	799.36	139.79	1974.22	40.49	7.08
7	वित्त, कर, योजना, सचिवालय और विविध सेवाएँ	26796.48	4188.14	4291.42	6153.64	10605.12	4247.71	25238.32	42.02	16.83
8	आबकारी	40.42	7.76	7.96	9.37	7.39	3.29	32.48	22.75	10.13
9	लोक सेवा आयोग	75.63	29.53	15.40	7.36	9.10	2.75	61.39	14.82	4.48
10	पुलिस एवं जेल	2447.96	568.46	525.04	565.36	573.20	274.30	2232.06	25.68	12.29
11	शिक्षा, खेल, युवा कल्याण और संस्कृति	10619.67	2085.25	2183.55	2712.17	2537.22	1239.12	9518.19	26.66	13.02
12	चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	4427.01	746.01	1105.98	833.94	1100.54	616.99	3786.47	29.07	16.29
13	जल आपूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	2497.01	169.31	508.27	380.98	865.17	322.60	1923.73	44.97	16.77
14	सूचना	179.79	20.35	27.46	40.75	78.70	65.52	167.26	47.05	39.17
15	कल्याणकारी योजनाएँ	3120.75	342.04	752.53	418.29	834.22	496.76	2347.08	35.54	21.17

अनुदान संख्या	विवरण	22-23 के दौरान आवंटन	व्यय					वर्ष 2022-23 में कुल व्यय	कुल व्यय के सापेक्ष चतुर्थ तिमाही में व्यय की प्रतिशतता	कुल व्यय के सापेक्ष मार्च में व्यय की प्रतिशतता
			प्रथम तिमाही	द्वितीया तिमाही	तीसरी तिमाही	चतुर्थ तिमाही	मार्च में			
16	श्रम एवं रोजगार	629.97	69.40	143.11	94.07	87.80	45.48	394.38	22.26	11.53
17	फसल पालन एवं अनुसंधान	1263.14	147.08	317.72	261.43	253.93	180.73	980.16	25.91	18.44
18	सहकारिता	211.80	33.81	101.36	25.56	25.17	11.38	185.90	13.54	6.12
19	ग्रामीण विकास	4299.48	320.92	612.32	1060.90	1013.94	361.41	3008.08	33.71	12.01
20	सिंचाई एवं बाढ़	1329.19	93.72	202.32	188.18	365.32	200.37	849.54	43.00	23.59
21	ऊर्जा	482.75	3.00	21.06	61.99	63.11	6.39	149.16	42.31	4.28
22	लोक निर्माण	2626.02	289.04	419.96	497.44	937.37	579.74	2143.81	43.72	27.04
23	उद्योग	550.18	57.02	60.17	78.53	249.94	96.94	445.66	56.08	21.75
24	परिवहन	362.75	31.31	58.22	83.29	120.93	61.31	293.75	41.17	20.87
25	खाद्य	587.30	14.23	337.43	-4.51	119.60	106.38	466.75	25.62	22.79
26	पर्यटन	357.09	55.30	30.81	54.69	171.05	50.66	311.85	54.85	16.24
27	वन	943.24	122.44	139.56	243.09	309.36	147.27	814.45	37.98	18.08
28	पशुपालन	559.42	72.98	107.52	117.94	132.33	73.92	430.77	30.72	17.16
29	बागवानी विकास	574.83	71.68	98.92	72.08	161.98	74.73	404.66	40.03	18.47
30	अनुसूचित जाति का कल्याण	2094.91	141.58	251.50	319.37	625.46	368.98	1337.91	46.75	27.58
31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	619.18	47.50	60.21	88.77	182.57	100.90	379.05	48.17	26.62
योग		71,011.92	9,981.22	13,427.14	14,711.39	22,415.90	9,961.82	60,535.65²		

स्रोत: वी एन सी डाटा।

उपरोक्त तालिका से पता चला कि 2022-23 के दौरान कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में 31 अनुदानों में से, तीन अनुदानों में कुल व्यय के 50 प्रतिशत और उससे अधिक का व्यय चौथी तिमाही में किया गया था, जबकि 11 अनुदानों में 40 प्रतिशत और उससे अधिक का व्यय चौथी तिमाही में किया गया था।

31 अनुदानों में 2022-23 के दौरान 11 अनुदानों में मार्च 2023 में किए गए कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में 20 प्रतिशत या उससे अधिक का व्यय किया गया था।

² इसमें वसूलियों की ₹ 57.25 करोड़ की राशि शामिल नहीं है।

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तिमाहीवार व्यय सीमा अनुपलब्धता के कारण, तिमाही व्यय के अनुपालन पर टिप्पणी नहीं की जा सकी।

3.13 चयनित अनुदानों की समीक्षा

3.13.1 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

अनुदान संख्या 15: कल्याणकारी योजनाएँ, 16: श्रम एवं रोजगार के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक की अवधि के लिए प्राप्तियाँ एवं व्ययों की समीक्षा से निम्नलिखित स्थिति प्रकट हुई।

अनुदान संख्या 15: कल्याणकारी योजनाएँ

यह अनुदान उत्तराखण्ड राज्य में संचालित कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित है और इसके अध्यक्ष सचिव समाज कल्याण और महिला एवं बाल विकास हैं। इस अनुदान के कार्यात्मक निदेशक समाज कल्याण, निदेशक महिला कल्याण एवं एकीकृत बाल विकास योजना तथा सैनिक कल्याण विभाग आते हैं। ये विभाग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला कल्याण, विकलांग और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करते हैं। यह मुख्य रूप से पेंशन योजना, छात्रवृत्ति, विवाह अनुदान, एस सी अटल आवास योजना, बुजुर्ग एवं विकलांग, असहाय पेंशन का क्रियान्वयन करता है।

अ. राजस्व व्यय

वर्ष 2021-22 के दौरान कुल राजस्व व्यय में पिछले वर्ष से 10.12 प्रतिशत की वृद्धि और वर्ष 2022-23 के दौरान पिछले वर्ष से 38.85 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जैसाकि तालिका-3.24 में सारांशित है।

तालिका-3.24: वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान मूल प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत में	
							बचत	पिछले वर्ष की तुलना में व्यय में विचलन
2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा	2018-19	1,594.74	114.69	1,709.43	1,341.83	367.60	21.50	--
	2019-20	1,748.77	110.44	1,859.21	1,444.05	415.16	22.38	7.62

मुख्य लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत में	
							बचत	पिछले वर्ष की तुलना में व्यय में विचलन
वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	2020-21	1,890.59	82.36	1972.95	1494.45	478.50	24.25	3.49
2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2021-22	1,880.83	462.61	2343.44	1645.71	697.73	29.77	10.12
2251- सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	2022-23	2,669.31	316.55	2985.86	2285.00	700.86	23.47	38.85
योग		9,784.24	1,086.65	10,870.89	8,211.04	2,659.85	24.47	

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि 2018-19 से 2022-23 के दौरान निरंतर बचत हुई। 2018-19 से 2022-23 के दौरान ₹ 1,086.85 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था जब की मूल प्रावधान ₹ 9,784.24 करोड़ के सापेक्ष, वास्तविक व्यय ₹ 8,211.04 करोड़ था जबकि इन वर्षों में पहले से ही ₹ 1,573.20 करोड़ की बचत थी। इसके अतिरिक्त, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के तहत छह उप-शीर्ष/योजनाओं³ में (बाल कल्याण सी एस एस, एकीकृत बाल विकास योजना पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला मानदेय, बाल कल्याण सी एस एस में राज्य अंश, महिला कल्याण सी एस एस, नंदा गौरा योजना और सैनिक कल्याण) ₹ 229.37 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि इन उपशीर्ष/योजनाओं के तहत अंतिम बचत ₹ 650.89 करोड़⁴ थी जो अनुपूरक प्रावधानों से अधिक थी।

विगत तीन वर्षों में इस अनुदान के अंतर्गत कुछ प्रमुख शीर्षों के तहत किए गए व्यय की नमूना जांच से पता चला कि इन वर्षों के दौरान व्यय के स्वरूप प्रवृत्ति में विविधता थी। ₹ 20 करोड़ से अधिक के अन्तर को आधार के रूप में लिया गया है। विवरण नीचे तालिका-3.25 में दिखाया गया है:

³ (2235-02-102-01, ₹ 25.92 करोड़, 2235-02-102-03, ₹ 24.44 करोड़, 2235-02-102-95, ₹ 37.97 करोड़, 2235-02-103-01 ₹ 7.76 करोड़, 2235-02-103-29, ₹ 130.73 करोड़, और 2235-60-200-03, ₹ 2.55 करोड़)

⁴ (2235-02-102-01, ₹ 239.54 करोड़, 2235-02-102-03, ₹ 33.26 करोड़, 2235-02-102-95 ₹ 69.63 करोड़, 2235-02-103-01, ₹ 7.76 करोड़, 2235-02-103-29, ₹ 295.77 करोड़ और 2235-60-200-03, ₹ 4.93 करोड़)

तालिका-3.25: अनुदान में विगत वर्षों की तुलना में व्यय में बड़े अन्तर की प्रवृत्तियाँ

क्र. सं.	योजना का नाम ⁵	व्यय (लाख में)			विचलन (लाख में)		विचलन प्रतिशत में	
		वित्तीय वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
1	बाल कल्याण-केंद्रीय योजना/केंद्र प्रायोजित योजना	33,715.09	39,943.47	25538.46	6228.38	14405.01	18.47	-36.06
2	बाल कल्याण-आई सी डी एस परियोजनाओं के तहत राज्य मानदेय (राज्य योजना)	8048.12	10740.67	15146.24	2692.55	4405.57	33.46	41.02
3	महिला कल्याण-नंदा गौरा योजना	10496.96	6000.00	33496.22	-4496.96	27496.22	-42.84	458.27
4	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पेंशन-सामाजिक प्रतिभूतियों के तहत वृद्धावस्था पेंशन	44566.39	35252.73	44535.05	-9313.66	9282.32	-20.90	26.33

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

ब. पूँजीगत व्यय

वर्ष 2021-22 के दौरान कुल पूँजीगत व्यय में 53.66 प्रतिशत की कमी हुई और 2022-23 के दौरान पूर्व वर्ष के सापेक्ष में 84.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जैसाकि नीचे तालिका-3.26 में सारांशित है।

⁵ 2235-02-102-01, 2235-02-102-03, 2235-02-103-29 और 2235-60-102-05.

तालिका-3.26: 2018-19 से 2022-23 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत में	
							बचत	पिछले वर्ष की तुलना में व्यय में विचलन
4225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	2018-19	71.29	9.00	80.29	37.87	42.42	52.83	--
	2019-20	88.90	20.46	109.36	70.14	39.22	35.86	85.21
	2020-21	123.50	28.48	151.98	72.75	79.23	52.13	3.72
	2021-22	107.60	0.00	107.60	33.71	73.89	68.67	-53.66
4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	2022-23	134.89	0.00	134.89	62.09	72.80	53.97	84.19
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय								
योग		526.18	57.94	584.12	276.56	307.56	52.65	

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान निरंतर बचत हुई है। 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान ₹ 57.94 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि मूल प्रावधान (₹ 526.18 करोड़) वास्तविक व्यय ₹ 276.56 करोड़ से काफी अधिक था।

स. सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोगी रहना

उप-शीर्ष/योजनाओं की नमूना जांच से पाया गया कि एक कल्याण योजना में 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान लगातार बचत हुई थी क्योंकि विभाग इन तीन वर्षों के दौरान पूरे बजट आवंटन का उपयोग करने में सक्षम नहीं था। विवरण तालिका-3.27 में दिया गया है।

तालिका-3.27: 2020-21 से 2022-23 के दौरान अनुपयोगी समग्र प्रावधान की सारंशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	योजना का नाम	लेखाशीर्ष	मूल	अनुपूरक	बचत
1.	2020-21	कक्षा 1 से 10 तक अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को अल्पसंख्यक शिक्षा छात्रवृत्ति का कल्याण	2225-04-277-02	203.00	0.00	203.00
2	2021-22	कक्षा 1 से 10 तक अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को अल्पसंख्यक शिक्षा छात्रवृत्ति का कल्याण	2225-04-277-02	203.00	0.00	203.00
3	2022-23	कक्षा 1 से 10 तक अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को अल्पसंख्यक शिक्षा छात्रवृत्ति का कल्याण	2225-04-277-02	203.00	0.00	203.00
योग						609.00

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान सरकार ने बताया कि प्रकरण को संबन्धित विभाग के समक्ष उठाया जाएगा।

द. अनुदान के अंतर्गत केन्द्रीय एवं राज्य योजनाएँ:

अनुदान के अंतर्गत केन्द्रीय और राज्य योजनाओं के अंतर्गत व्यय (₹ पाँच करोड़ और अधिक) तालिका-3.28 में दिया गया है।

तालिका-3.28: केन्द्रीय योजना व्यय (₹ पाँच करोड़ और अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	लेखाशीर्ष	भारत सरकार से प्राप्त राशि (पी एफ एम एस)	बजट प्राविधान	एच ओ डी को अवमुक्त राशि	व्यय	बचत
1.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन	2235-03-101-01-00-57	105.98	59.81	59.81	59.81	0.00
2.	ओ बी सी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	2225-03-102-01-02-45	14.99	11.09	6.73	6.73	4.36

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना में, ₹ 59.81 करोड़ का संपूर्ण बजट प्रावधान विभाग प्रमुख को 31 मार्च 2023 तक वितरित किया गया था, और इस पूरी राशि का उपयोग किया गया था, वर्ष के अंत तक कोई अव्ययित शेष नहीं छोड़ा गया था। हालाँकि, जबकि केंद्र सरकार ने पूरे वर्ष में कुल ₹ 105.98 करोड़ जारी किए, वास्तव में विभाग प्रमुख को इससे कम राशि वितरित की गई थी।

इसी प्रकार, ओ बी सी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत, ₹ 11.09 करोड़ के बजट प्रावधान के बावजूद, केंद्र सरकार ने 28 दिसम्बर 2022 को ₹ 8.01 करोड़ और 30 मार्च 2023 को ₹ 6.98 करोड़ जारी किए। हालाँकि, केंद्र सरकार से पूरी राशि प्राप्त होने के बावजूद, राज्य सरकार ने 01 फरवरी 2023 को समाज कल्याण निदेशक को केवल ₹ 6.73 करोड़ जारी किए। परिणामस्वरूप, विभाग प्रमुख ने राज्य सरकार से प्राप्त संपूर्ण ₹ 6.73 करोड़ का उपयोग कर लिया।

वाहिर्गमन सम्मेलन के दौरान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि शेष राशि राज्य योजनाओं से अग्रिम के रूप में दी गई होगी।

2022-23 के दौरान बजट और व्यय के आशय के लिए निम्नलिखित राज्य योजनाओं (₹ पांच करोड़ और अधिक) का विश्लेषण किया गया था।

तालिका-3.29: राज्य योजना व्यय (₹ पाँच करोड़ एवं अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	लेखाशीर्ष	बजट प्रविधान	विभागाध्यक्ष को अवमुक्त राशि	व्यय	बचत
1.	जन्म से 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों के लिए दिव्यांग पेंशन, तीलू रौतेली पेंशन, बौना पेंशन	2235-02-101-20-00-57	116.05	116.05	114.71	1.34
2.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन	2235-03-101-95-00-57	229.19	229.19	229.19	0.00
3.	सामाजिक सुरक्षा के तहत वृद्धावस्था पेंशन	2235-60-102-05-00	403.53	403.03	401.56	1.47
4.	किसान पेंशन योजना	2235-60-102-06-00	34.17	34.17	33.84	0.33
5.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग विधवा पेंशन राज्य अंश	2235-03-102-95-02	35.88	32.12	32.12	0.00
6.	निराश्रित विधवा पेंशन	2235-02-103-15-00-57	246.79	246.79	238.87	7.92
7.	जिन महिलाओं को पतियों ने छोड़ दिया हैं निराश्रित, मानसिक रूप से विकलांग महिलाओं को भोजन की सुविधा के लिए अनुदान	2235-02-103-20-00-57	9.97	9.97	9.60	0.36

स्रोत: बजट दस्तावेज़ एवं विनियोग लेख।

क्रमांक 1, 3 एवं 4 पर राज्य की योजनाओं में वर्ष के दौरान कम संख्या में आवेदन प्राप्त होने के कारण बचत हुई। दो योजनाओं में, अर्थात्, निराश्रित विधवा पेंशन (क्रम संख्या 6) और उन महिलाओं को भोजन की सुविधा के लिए अनुदान जिनके पतियों ने उन्हें छोड़ दिया है/निराश्रित महिलाएं, मानसिक रूप से विकलांग महिलाएं (क्रम संख्या 7) में बचत इस तथ्य के कारण थी कि यह राशि उन्हें वित्तीय वर्ष के अंत में (अर्थात् 31 मार्च 2023 को) प्राप्त हुई थी।

य. डी डी ओ द्वारा अपने खाता में स्थानांतरण

निधि के अंतिम निष्पादन के आश्वासन के लिए वार्षिक लेखों में दर्ज प्रत्येक व्यय की जाँच की जानी चाहिए। आई एफ एम एस डेटा और अन्य दस्तावेजों की समीक्षा करने पर, यह पता चला कि 2022-23 के दौरान इस अनुदान के तहत डी डी ओ द्वारा ₹ 514.41 करोड़ (2235 - ₹ 508.83 करोड़ और 2225 - ₹ 5.58) की राशि अपने खातों में स्थानांतरित की गई थी। इन स्वयं के बैंक खाते हस्तांतरण की भी निगरानी करने की आवश्यकता है।

र. प्राप्तियाँ

2020-21 से 2022-23 के दौरान चयनित अनुदान के मुख्य शीर्ष-0235 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की समग्र स्थिति तालिका-3.30 में सारांशित है।

तालिका-3.30: अनुदान के मुख्य शीर्ष-0235, के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	बजट आकलन	पुनरीक्षित आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	पुनरीक्षित आकलन से आधिक्य(+)/ कमी(-)	पुनरीक्षित आकलन से विचलन प्रतिशत
0235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2020-21	0.61	0.71	7.83	7.12	1002.82
	2021-22	0.76	32.76	31.57	-1.19	-3.63
	2022-23	0.84	1.95	1.06	-0.89	-45.64

स्रोत: बजट एवं वित्त लेखे।

यद्यपि, कुछ शीर्षों की नमूना जाँच में विगत वर्षों में वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में आगामी वर्षों में प्राप्तियों के आकलन में कमी/आधिक्य पाया गया जैसाकि तालिका-3.31 में दिया गया है।

तालिका-3.31: वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान प्राप्तियों की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	बजट आकलन	पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य(+)/ कमी(-)	पुनरीक्षित आकलन से विचलन प्रतिशत
1	0235-60-800-अन्य प्राप्तियाँ	2020-21	0.61	0.71	7.83	7.12	1002.82
		2021-22	0.76	32.76	31.57	-1.19	-3.63
		2022-23	0.84	1.95	1.06	-0.89	-45.64

स्रोत: बजट एवं वित्त लेखे।

अनुदान संख्या-15 के अंतर्गत प्राप्तियों का विश्लेषण दर्शाता है कि केवल एक मुख्यशीर्ष जैसे 800- अन्य प्राप्तियाँ हैं जिसके अंतर्गत प्राप्तियाँ दर्ज की जाती हैं।

अनुदान संख्या 16: श्रम एवं रोजगार

इस अनुदान का संचालन सचिव श्रम एवं रोजगार द्वारा किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संवैधानिक, वैधानिक और सम्मेलनों के तहत प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में विभाग के प्रमुख कार्यों और जिम्मेदारियों का विवरण इस प्रकार है:-

केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित विभिन्न श्रम कानूनों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, विशेष रूप से न्यूनतम वेतन और वेतन भुगतान, श्रमिकों के मुआवजे के भुगतान, समान काम के लिए पुरुष और महिला श्रमिकों को समान वेतन भुगतान, मातृ लाभ सुनिश्चित करने के साथ-साथ कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना। निम्नलिखित के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना :-

- i. ग्रेच्युटी भुगतान, बोनस भुगतान, अंतरराज्यीय और अनुबंध श्रमिकों आदि के लाभ और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित करना।
- ii. बाल / बंधक प्रथा के उन्मूलन के लिए संबंधित कानूनों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- iii. व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने में भूमिका।

अ) विभिन्न श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन।

ब) राज्य में औद्योगिक शांति बनाये रखने में सहायता करना।

स) विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकरण/लाइसेंसिंग।

द) विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत दावों के निपटान के बाद भुगतान।

य) बाल श्रमिकों की पहचान करना एवं उल्लंघन करने वालों के संबंध में कार्यवाही करना तथा चिन्हित बाल श्रमिकों को विद्यालयों में प्रवेश दिलाना आदि।

अ. राजस्व व्यय

2021-22 के दौरान कुल राजस्व व्यय में 0.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 2022-23 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 2.98 प्रतिशत की और वृद्धि हुई, जैसाकि तालिका-3.32 में सारांशित है।

तालिका-3.32: 2018-19 से 2022-23 के दौरान मूल प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांश

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत में	
							बचत	विगत वर्ष की तुलना में व्यय में विचलन
2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 2230-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास	2018-19	342.92	25.25	368.17	221.60	146.57	39.81	--
	2019-20	386.68	48.54	435.22	288.78	146.44	33.65	30.32
	2020-21	355.23	135.37	490.60	334.85	155.75	31.75	15.95
	2021-22	394.92	0.74	395.66	336.03	59.63	15.07	0.35
	2022-23	536.55	24.65	561.20	346.05	215.15	38.34	2.98
कुल		2,016.30	234.55	2,250.85	1,527.31	723.54	32.15	--

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2018-19 से 2022-23 के दौरान लगातार बचत हुई। इस अवधि के दौरान, ₹ 234.55 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि मूल प्रावधान (₹ 2,016.30 करोड़) वास्तविक व्यय ₹ 1,527.31 करोड़ से कहीं अधिक था। विगत तीन वर्षों के लिए इस अनुदान के नीचे कुछ मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत किए गए व्यय की नमूना जाँच से पता चला कि इन वर्षों के दौरान व्यय की प्रवृत्ति में विचलन हुआ है।

ब. पूँजीगत व्यय

2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान कुल पूँजीगत व्यय में 42.68 प्रतिशत की वृद्धि और विगत वर्ष की तुलना में 2022-23 में 5.49 प्रतिशत की कमी देखी गई, जैसा कि तालिका-3.33 में सारांशित है।

तालिका-3.33: 2018-19 से 2022-23 के दौरान मूल प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत में	
							बचत	पिछले वर्ष की तुलना में व्यय में विचलन
4259-लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत	2018-19	12.00	2.00	14.00	10.96	3.04	21.71	--
	2019-20	15.34	0.00	15.34	4.22	11.12	72.49	-61.50
	2020-21	35.00	10.00	45.00	35.85	9.15	20.33	749.53

मुख्य लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत में	
							बचत	पिछले वर्ष की तुलना में व्यय में विचलन
परिव्यय 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	2021-22	92.01	25.00	117.01	51.15	65.86	56.29	42.68
	2022-23	68.77	0.00	68.77	48.34	20.43	29.71	(-)/5.49
योग		223.12	37.00	260.12	150.52	109.60	42.13	

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि 2018-19 से 2022-23 के दौरान लगातार बचत हुई। इस अवधि के दौरान, ₹ 37.00 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि मूल प्रावधान (₹ 223.12 करोड़) वास्तविक व्यय ₹ 150.52 करोड़ से कहीं अधिक था। ₹ 20 करोड़ से अधिक के योजना परिव्यय के लिए अनुदान के लघु शीर्षों के अंतर्गत उपशीर्ष स्तर पर कोई अनुचित व्यय प्रवृत्ति नहीं था।

स. सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोगी रहना

कुछ उप-शीर्षों की नमूना जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान वर्ष के अंत तक सम्पूर्ण प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) का उपयोग नहीं किया गया जैसाकि तालिका-3.34 में दिया गया है।

तालिका-3.34: 2020-21 से 2022-23 के दौरान सम्पूर्ण प्रावधानों के अनुपयोगी रहने की सारांशित स्थिति

(₹ लाख में)

क्र.सं.	वर्ष	योजना का नाम	लेखाशीर्ष	मूल	अनुपूरक	बचत
1	2020-21	मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना	2230-03-102-05	200.00	0.00	200.00
2		नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित सामान्य प्रशिक्षण	4216-80-003-98	600.00	0.00	600.00
3	2021-22	मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना	2230-03-102-05	200.00	0.00	200.00
4	2022-23	श्रमिक कल्याण केन्द्रीय योजना/केन्द्र प्रायोजित योजना	2430-01-103-01	450.00	0.00	450.00
5		शिल्पकारों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण केन्द्रीय योजना/केन्द्र प्रायोजित योजना	2230-03-003-01	2,277.73	0.00	2,277.73
6		शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण सी एस एस में राज्य का हिस्सा	2230-03-003-95	180.17	0.00	180.17
7		शिक्षुता प्रशिक्षण सी एस एस	2230-03-102-01	2,400.00	0.00	2,400.00

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान सरकार ने तथ्य को स्वीकार किया एवं बताया कि प्रकरण को संबन्धित विभाग के समक्ष उठाया जाएगा।

द. अनुदान के अंतर्गत केंद्रीय योजनाएं:

अनुदान के अंतर्गत केंद्रीय योजनाओं पर व्यय (₹ चार करोड़ और अधिक) तालिका-3.35 में दिया गया है।

तालिका-3.35: केंद्रीय योजनाओं पर व्यय (₹ चार करोड़ और अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	लेखाशीर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
1	मॉडल अर्थव्यवस्था के लिए कार्यबल विकास	4059-60-051-97-01-53	50.00	35.00	15.00
2	आई टी आई भवन का निर्माण	4216-80-003-98-01-53	14.77	9.91	4.86
3	मॉडल अर्थव्यवस्था के लिए कार्यबल विकास	2230-03-003-97-01-56	150.00	10.00	140.00

स्रोत: विनियोग लेखे।

मॉडल इकोनॉमी के लिए कार्यबल विकास में मानकों के उन्नयन/आउटटर्न के कारण और वर्ष 2022-23 में सामग्री प्राप्त नहीं होने के कारण बचत हुई। उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करने के कारण निर्माण एजेंसी को धनराशि जारी नहीं की गई, जिससे आई टी आई भवन के निर्माण में बचत हुई। मॉडल अर्थव्यवस्था के लिए कार्यबल विकास क्र.सं. - 3 के संबंध में विभाग द्वारा बचत हेतु कोई कारण नहीं बताया गया।

य. डी डी ओ द्वारा अपने खाता में स्थानांतरण

निधि के अंतिम निष्पादन के आश्वासन के लिए वार्षिक लेखों में दर्ज प्रत्येक व्यय की जाँच की जानी चाहिए। आई एफ एम एस डेटा और अन्य दस्तावेजों की समीक्षा करने पर, यह पता चला कि 2022-23 के अंतर्गत इस अनुदान के तहत डी डी ओ द्वारा ₹ 22.62 करोड़ (2210 - ₹ 22.62 करोड़) की राशि अपने खातों में स्थानांतरित की गई थी। इन स्वयं के बैंक खाते के हस्तांतरण की भी निगरानी की जानी आवश्यक है।

र. प्राप्तियाँ

2020-21 से 2022-23 के दौरान, अनुदान के मुख्य शीर्ष 0210 और 0230 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की समग्र स्थिति तालिका-3.36 में सारांशित है।

तालिका-3.36: अनुदान के मुख्य शीर्ष 0210 और 0230 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	वर्ष	बजट आकलन	पुनरीक्षित आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य(+)/कमी(-)	पुनरीक्षित आकलन में विचलन प्रतिशतता
0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	2020-21	125.67	130.67	168.62	37.95	29.04
	2021-22	131.67	161.67	177.85	16.18	10.01
	2022-23	145.29	209.17	188.50	-20.67	-9.88
0230- श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास	2020-21	29.26	12.26	15.28	3.02	24.63
	2021-22	15.26	13.70	7.44	-6.26	-45.69
	2022-23	14.39	14.43	16.27	1.84	12.75

स्रोत: बजट एवं वित्तीय लेखे।

तथापि, कुछ शीर्षों की नमूना जाँच में विगत वर्षों में वास्तविक प्राप्तियाँ ₹ 10 करोड़ और अधिक के आधार की तुलना में आगामी वर्षों में प्राप्तियों के आकलन में कमी/आधिक्य पाया गया जैसाकि तालिका-3.37 में दिया गया है।

तालिका-3.37: मुख्य शीर्ष -0210,0230 के अंतर्गत प्राप्तियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	बजट आकलन	पुनरीक्षित आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य(+)/कमी(-)	पुनरीक्षित आकलन में विचलन प्रतिशतता
1.	0210-01-020 (अस्पताल और औषधालय सेवाओं के लिए रोगियों से प्राप्तियाँ)	2020-21	13.25	13.25	12.54	-0.71	-5.36
		2021-22	11.25	11.25	9.97	-1.28	-11.38
		2022-23	12.38	11.25	12.09	0.84	7.47
2.	0210-01-101 (कर्मचारी राज्य बीमा योजना से प्राप्तियाँ)	2020-21	3.20	6.20	85.07	78.87	1272.10
		2021-22	70.20	77.20	123.93	46.73	60.53
		2022-23	77.22	120.20	95.62	-24.58	-20.45
3.	0210-01-800 (अन्य प्राप्तियाँ)	2020-21	60.54	60.54	5.56	-54.98	-90.82
		2021-22	2.54	2.54	11.48	8.94	351.97
		2022-23	3.24	7.04	13.42	6.38	90.63
4.	0210-03-105 (एलोपैथी)	2020-21	42.00	42.00	56.81	14.81	35.26
		2021-22	42.00	55.00	19.77	-35.23	-64.05
		2022-23	46.20	55.00	55.29	0.29	0.53
5.	0230-00-104 (फैक्ट्री अधिनियम के तहत प्राप्त शुल्क)	2020-21	6.00	2.00	6.66	4.66	233.00
		2021-22	6.00	6.00	2.62	-3.38	-56.33
		2022-23	6.60	6.00	10.09	4.09	68.17

स्रोत: बजट एवं वित्तीय लेखे।

अनुदान संख्या- 16 के अन्तर्गत प्राप्तियों के विश्लेषण दर्शाते है कि दो मुख्य शीर्ष⁶ के अंतर्गत पाँच लघु शीर्ष हैं जिनके अन्तर्गत प्राप्तियाँ दर्ज की जाती हैं।

⁶ 0210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 0230- श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास।

3.14 केंद्र एवं राज्य योजनाओं पर व्यय

वर्ष 2022-23 के बजट आशय का आकलन करने के लिए निम्नलिखित केंद्रीय और राज्य कार्यक्रमों/योजनाओं को चुना गया और जांचा गया।

तालिका-3.38: केंद्र योजनाओं पर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	भारत सरकार की योजना का नाम	बजट	भारत सरकार द्वारा अवमुक्त	राज्य में डी डी ओ को आवंटन	कुल आवंटन	व्यय	कमी(-)/आधिक्य(+)
1	राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए सहायता अनुदान	1,884.05	787.20	0.00	787.20	874.40	(+)87.20
2	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	1,431.08	949.18	6.55	955.73	703.10	(-)252.63
3	आर सी एच और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए लचीला पूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम & राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	1,253.94	432.52	124.19	556.71	887.15	(+)330.44
4	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	2,307.00	1,297.16	0.00	1,297.16	1,483.78	(+)189.62
5	समग्र शिक्षा	1,621.23	704.39	0.00	704.39	553.47	(-)150.92
6	सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0	799.35	425.84	43.69	469.53	308.04	(-)161.49
योग		9,296.65	4,596.29	174.43	4,770.72	4,809.94	(+) 39.22

स्रोत: पी एफ एम एस डाटा।

वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार को छह प्रमुख योजनाओं के संबंध में ₹ 9,296.65 करोड़ के बजट अनुमान के सापेक्ष केंद्र सरकार से ₹ 4,596.29 करोड़ प्राप्त हुए और राज्य निधि से ₹ 174.43 करोड़ डी डी ओ को आवंटित किए गए। वर्ष के दौरान ₹ 4,809.94 करोड़ का व्यय किया गया जो कि कुल आवंटन ₹ 4,770.72 करोड़ का 100.82 प्रतिशत था।

तालिका-3.39: राज्य योजना पर व्यय

(₹ करोड़ में)

राज्य कार्यक्रम/योजना			
क्र.सं.	योजना का नाम	बजट प्रावधान	व्यय
1	राज्य में गर्भवती के लिए ईजा-बोर्ड शगुन योजना	14.90	0.00
2	नंदा गौरा योजना	630.73	334.96
3	वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना	11.00	8.08

स्रोत: वित्त लेखे।

राज्य कार्यक्रमों/योजनाओं के संबंध में उपरोक्त तालिका के आंकड़े व्यय के विभिन्न स्तरों को दर्शाते हैं, जिसमें नंदा गौरा योजना और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में धन का उल्लेखनीय उपयोग हुआ है, जबकि राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए ईजा-बोई शगुन योजना में धन का व्यय शून्य सूचित हुआ है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा, राज्य सरकार को समय समय पर प्रदर्शन को सक्रिय रूप से प्रबंधित करने, इन कार्यक्रमों के सकारात्मक प्रभावों को अधिकतम करने और प्रतिकूल प्रभावों के जोखिम को कम करने के लिए जानकारी एकत्र, विश्लेषण और उपयोग करना चाहिए।

संक्षेप में, बजट प्रावधानों और व्ययों के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत सरकार के अधिकांश कार्यक्रमों और योजनाओं को पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किया गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में एक मजबूत बजटीय इरादे का संकेत देता है। हालाँकि, कुछ राज्य योजनाओं ने अपने आवंटित धन का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है, जिसके लिए आगे अधिक ध्यान देने और निगरानी की आवश्यकता हो सकती है।

3.15 निष्कर्ष

- 2022-23 के दौरान, ₹ 71,011.92 करोड़ के कुल अनुदानों और विनियोगों के सापेक्ष ₹ 10,419.02 करोड़ की कुल बचत हुई।
- 33 प्रकरणों में ₹ 3,355.57 करोड़ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। 6 प्रकरणों में निधियों का पुनर्विनियोजन तर्कसंगत नहीं था जिसके परिणामस्वरूप प्रावधानों में पाँच करोड़ से अधिक की बचत हुई।
- वर्ष 2022-23 के दौरान दत्तमत राजस्व से प्रभारित राजस्व में ₹ दो करोड़ की राशि के पुनर्विनियोजन का एक प्रकरण देखा गया, जो उत्तराखण्ड सरकार के बजट मैनुअल के अनुसार अनुमान्य नहीं था।
- विधायी स्वीकृति के बिना वर्ष 2005-06 से 2021-22 तक की अवधि से संबन्धित व्ययाधिक्य की धनराशि ₹ 47,758.16 करोड़ (अर्थोपाय अग्रिम ₹ 27,722.40 करोड़ और अनुदान संख्या 17, 25 और 29 के ₹ 19,041.88 करोड़ सहित) को राज्य विधानमंडल द्वारा विनियमित किया जाना बाकी है।
- ₹ 15.23 करोड़ का व्यय राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज किया गया। इस व्यय को पूँजीगत अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था क्योंकि यह व्यय वृहद निर्माण कार्यों एवं भूमि क्रय से संबंधित था, जिसे सामान्यतः पूँजीगत अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज किया जाता है।

3.16 संस्तुतियाँ

- राज्य सरकार को अपने बजटीय आकलन में अधिक यथार्थवादी होना चाहिए और बचत को कम करने के लिए प्रभावी नियंत्रण तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए;
- राज्य सरकार वित्तीय वर्ष की समाप्ति से काफी पहले बचत का आकलन और समर्पण कर सकती है ताकि अन्य क्षेत्रों/योजनाओं में उनका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके।